

I would invite attention of the House to what I said during the debate on the 18th of December 1958 explaining the reasons why the price of sugarcane cannot be raised. The House by a clear vote accepted the view of the Government.

Some Hon. Members rose—

Shri S. M. Banerjee (Kanpur). The hon. Minister said that he was glad that the strike has fizzled out.

Mr. Speaker: It is his view.

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad). The Minister is acting as an agent of the strike breakers when he says he is glad.

Mr. Speaker: No aspersions need be made.

The calling attention notice has been answered. The hon. Members may take it for what it is worth.

12-04 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THIRTY-FOURTH REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I beg to move—

"That this House agrees with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th February, 1959."

Mr. Speaker: The question is

"That this House agrees

Shri Braj Raj Singh (Ferozabad). May I say a word, Sir? The time allotted for item No 4 is 3 hours. It is a very important measure. Although it is going to a Joint Committee, even then, the Joint Committee might be benefited by the views expressed by the hon. Members here. So, I suggest that

Mr. Speaker: What is the number of the item?

Shri Braj Raj Singh. Item No 4, the Arms Bill.

Mr. Speaker: What is the suggestion?

Shri Braj Raj Singh: My suggestion is that a full day may be allotted.

Shri Satya Narayan Sinha: It is to be referred to a Joint Committee.

Mr. Speaker: When the decision was taken, I think the hon. Member was there. The matter has to be referred to a Joint Committee of both Houses.

Shri Braj Raj Singh: That is why I submitted that the Joint Committee might be benefited by the views expressed here.

Mr. Speaker: The Speaker has always got the right to increase the time by one hour. All that the hon. Member wants will be satisfied if there is sufficient interest evinced in the House and when there is greater demand by hon. Members to speak I am putting this to the vote of the house.

The question is

"That this House agrees with the Thirty-fourth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 10th February, 1959."

The motion was adopted.

12-05 hrs.

DELHI PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) BILL

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): Sir, I move—

"That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration."

[Shri G. B. Pant]

I had the privilege of moving the Land Reforms (Amendment) Bill which was passed by the House yesterday. These two Bills, in reality, form part of the one integrated system. This Bill is a small one, smaller than the Bill which was considered by the House yesterday. Several of the remarks that I then made would be equally relevant to this also. But, I would not like to take the time of the House just to reiterate what I then said.

The Panchayat Raj Act provides for the administration of the rural affairs in the villages and in the circles to a large extent by the Gaon Sabhas elected by the Gaon Panchayats and the Circle Panchayats. Unfortunately, there was a conflict between the provisions of the Delhi Land Reforms Act and the Delhi Panchayat Raj Act regarding the composition of these bodies which came in the way of efficient implementation of the Panchayat Raj Act. That conflict is now being removed.

The Gaon Sabha is to consist of the persons who are qualified to vote for the Member of Parliament from their constituency. The Land Reforms Act had a different provision. It did not quite tally with this and a change has now been made in order to bring it in conformity with that provision, which will now, according to this Bill, be incorporated in it. So, the hurdle that had to be crossed in order to implement and give concrete shape to the provisions of the Panchayat Raj Act will now be crossed, and Panchayats will be formed accordingly. That is one of the principal features of this Bill and, to that, there cannot possibly be any objection.

Then, under the Panchayat Raj Act as it stands today, the Panchayats were competent to deal with civil and revenue cases within the limits prescribed for that purpose. But they had no jurisdiction over criminal

cases. It is now being proposed in this Bill that the Panchayat Adalat should also have the authority to dispose of criminal cases involving minor offences under the Indian Penal Code, the Cattle Trespass Act and also, I think, one or two other minor Acts such as, perhaps, the Gambling Act. Besides, the Chief Commissioner may confer further powers on such Panchayats or Panchayat Adalats as may be qualified to exercise this enlarged jurisdiction and also try cases under other laws which do not involve a sentence of more than Rs 100 as fine. That is one of the main provisions made in this amending Bill.

The Gaon Sabhas will virtually consist of all the adult members who have the right of vote in a parliamentary constituency and that for all practical purposes includes almost all the adult persons living in the village. Then there will also be a Circle Panchayat. The Gaon Panchayat will be a small one and the Circle Panchayat too will not be a big one. It will, under the existing Act consist of representatives elected by the Gaon Sabhas included in the circle. A Circle Panchayat according to the Act is to be elected by eight Gaon Sabhas by the adults living in the villages. These Gaon Sabhas elect the Circle Panchayat and from among the members of the Circle Panchayat the Panchayat Adalats are to be formed. So, due care has been paid to see that the Panchayats are so constituted that they can be fully trusted to deal with the cases of the nature that have been entrusted to them.

In order that there may not be much rigidity, the Chief Commissioner is being authorised to vary the number of villages that should form the Circle Panchayat. So, wherever, owing to special conditions such as population being small or the area being too large, it becomes necessary to make any change. The villages comprising need not necessarily be eight in number. They can be adjusted in

the light of the local conditions. It is necessary that these Panchayats, which have been given the power to deal with civil and revenue matters, be also authorised to dispose of petty cases coming within the definition of criminal law. They are not very serious ones—at least those which will come within the jurisdiction of these panchayats. And perhaps the issues involved and the interests affected in a number of civil and revenue cases may be of greater significance and importance than those which may have to be tackled in the cases which are now being brought within the jurisdiction of the Adalat Panchayats. We want these local bodies in the rural areas to have more and more power to deal with their affairs and cases which involve considerable expenditure when they go to the court. There are prolonged hearings, I think, sometimes over very petty matters and the simple way in which these things can be dealt with by the rural folk themselves would be preferable to the elaborate technicalities which have to be observed in our regular courts. But the cases, as I said with which these Panchayati Adalats will be concerned, will be of a simple character. I hope it will be readily accepted by the Members of this House that people should be trained for the exercise of greater and greater powers and the more of opportunities they get for this, the better will it be for all concerned. There must be a feeling of partnership in the transaction of the business of the State. So, this Panchayat Raj Act was framed and these changes are now being made.

In the Act, there is provision to the effect that by agreement any matter regardless of its value could be referred to a Panchayati Adalat. We have now made a slight amendment to the effect that cases of the value which would admit of an appeal to the Sub-Judge could be so dealt with but not an unlimited amount. For, we do not want unnecessary complications to be created

in the course of the working of the Panchayats nor litigation to follow as a result of the decisions taken by Panchayats with regard to matters which may really be of considerable importance. So, we are proposing an amendment. According to the existing Act, Government servants or servants of local bodies could also be members of the panchayats. We have now provided that no official will be eligible whether serving under the Government or under a local body.

These are the main provisions. The other clauses of the Bill are either consequential or of a verbal character. So I need not refer to them. It is a very simple measure, and I myself had expected that it would be passed perhaps without any discussion, in a short time. I am told that three hours have been provided for it. That shows that I did not appreciate the full significance, but that in a way gives me some satisfaction too, because I now feel that this measure is of greater importance than I had expected when it was conceived and when it was given shape. So, when the Bill is passed, we will have done something really worth doing. I hope the hon. Members will kindly accept this Bill and join me in doing a good piece of work which will be appreciated by the people living in the rural areas of Delhi.

Shri Mohammed Imam (Chitaldurg)
One point of information. May I know how the Gaon Sabhas have been functioning since 1954 and whether any report can be placed on the Table of the House as to how they have been functioning whether the working has been satisfactory or unsatisfactory.

Shri G. B. Pant. The Bill took the shape of an Act called the Panchayat Raj Act, 1954, which was passed in 1954. But it received the assent of the President in 1955. Then, when both these Acts were compared, these discrepancies were noticed to

[Shri G. B. Pant]

which I have referred. It was felt that no action could be taken till these discrepancies had been reconciled. So, the thing had to be held over, and in the meantime, the Delhi State Legislature was dissolved. We have now brought two Bills simultaneously—one dealing with the Land Reforms Act and the other with the Panchayat Raj Act. There are some sort of committees in the villages doing some development work, but panchayats under this Act have not been formally constituted yet.

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration"

I have received notice of an amendment to the motion for consideration from Shri Raghuraj Sahai, the motion being that the Bill be referred to a Select Committee consisting of some Members whom he has named. He has included the name of the Minister-in-charge. Has the hon. Member consulted hon. Members whose names he has mentioned, and has he obtained their consent?

Shri Raghuraj Sahai (Budaun): I have consulted some, but not all.

Mr. Speaker: The hon. Minister's name also is here. I wonder whether the hon. Minister was consulted before his name was put in here.

Shri G. B. Pant: I had no scent of it.

Mr. Speaker: I cannot allow it.

Shri G. B. Pant: I do not think he is very serious about it.

Mr. Speaker: It will be highly embarrassing to any hon. Member to withdraw when once his name is included without his consent. I would suggest that in future it should not be done.

Pandit . Thakur Das Bhargava (Hissar): That would mean that no motion for reference to the Select Committee is possible without the consent of the Minister-in-charge. That would be very wrong. Hitherto, the practice has been that the Minister has always given his consent where there is a motion for reference to the Select Committee. It is for the House and for you to see whether the Bill should be referred to the Select Committee. But if you make it a precedent that unless the consent of the hon. Minister-in-charge is obtained earlier, the motion cannot be made with his name, included, it would be difficult. Of course, all Ministers may not be like Pantji, and some hon. Ministers may take it into their heads that the motion may not be made unless the hon. Minister-in-charge gives his consent to be on the Select Committee. If you make it a rule that prior consent of the Minister-in-charge must be had, then it will become incumbent on the Member to obtain the consent of the Minister-in-charge. His withholding the consent would be practically tantamount to no such motion being moved.

Mr. Speaker: I am afraid the hon. Member is only repeating what he had raised at an earlier stage, in 1956. At that time, he raised the same question.

"On the 26th November, 1956, to the motion that the Administration of Evacuee Property (Amendment) Bill be taken into consideration, Pandit Thakur Das Bhargava moved an amendment for reference of the Bill to a Select Committee consisting of 21 Members including the Minister-in-charge of the Bill. When the Deputy-Speaker enquired as to what was the reaction of the Minister-in-charge to the proposed amendment, the latter stated that he was not prepared to accept it. Thereupon, the Deputy-Speaker enquired from Pandit Thakur Das Bhargava if he had obtained the

consent of other Members whose names had been included in the Select Committee motion. In reply Pandit Thakur Das Bhargava stated that he had not obtained the express consent of Members but their consent was implied. The Deputy-Speaker thereupon observed

"The general rule is that consent should be first obtained. I do not think that the consent should be presumed. The rule is clear that the consent should first be obtained."

So far as this point is concerned, it is not as if the motion is not going to be allowed and that the hon. Minister is going to refuse to serve on the Select Committee. All that I said was a Member should not bring in a motion for reference to the Select Committee in which names of Members are included without their consent. In this case, it may be necessary that the Minister-in-charge should be a Member, but only a Member. Therefore, if he refuses to agree that would be a different matter. If however he is a Member of the Select Committee, he may not be able to attend the meetings of the Select Committee or take part in them. What I say is it does not preclude a reference to the Select Committee. In giving the names, it is not incumbent on any hon. Member who moves the motion for reference to the Select Committee to include the name of the Member or Minister without having his consent. That is what is objected to. I am not going to allow this motion.

Pandit Thakur Das Bhargava: When the list is read out any Member who does not want to become a Member of the Select Committee can say that he does not want to be included.

Mr. Speaker: I do not follow that kind of implied consent. The consent may be implied, but when the hon. Member has gone to the length of in-

cluding the name of a Minister without his consent, I do not want to adopt this course of "wait and see" if the Minister would agree or not agree. There must be consent. I shall strictly enforce the rule.

Shri Raghbir Sahai: I do not wish to dispute your ruling but just want to make one observation, namely, that this rule may not be construed very technically, because, it was not possible for me to obtain the consent of every Member whom I have included in this motion. But I can say that if the hon. Minister is opposed to the formation of the Select Committee I would be the last person to insist upon this motion being pressed.

Mr. Speaker: The point is, cannot the hon. Member get the names of a few other hon. Members for inclusion? There is nothing in the rules stating the Select Committee must consist of such and such a number of Members. Only, the Select Committee must have a quorum of 15th, just as there is a quorum for the House namely, 50. If there are only five Members in the Select Committee, then the quorum will be just one. Therefore, I insist upon the consent. I would not allow the hon. Member to give the names without having consulted the Members concerned. He may have five, ten or 15 Members, whomsoever he likes. In any case, without consulting, the Minister's name shall not be put down.

Shri Bimal Ghose (Barrackpore): The matter would then come to this if the Minister should object, what is the good of moving the motion?

Mr. Speaker: That is left to him. The House will be in possession of the motion, only when I place it before the House, so that no hon. Member is entitled to withdraw the motion without the consent of the House. Till then, he can make any statement, but not move it. I take it that he is not making this motion.

Shri C. K. Nair (Outer Delhi): I request you to permit the motion, because I consider it very important.

Mr. Speaker: I am not going to listen to recommendations of this kind unless the hon Minister is agreeable, I cannot allow it

Shri Raghunir Sahai: Regretfully I remove the name of the hon Minister.

Mr. Speaker: Has he obtained the consent of the other hon Members?

Shri Raghunir Sahai: I have obtained the consent of many of them

Mr. Speaker: He will read out only the names of those hon Members whose consent he has obtained. Let him make the motion, if even a single Member says that he was not consulted, I will not put the motion to the House

Shri Raghunir Sahai: I beg to move

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Radha Ramn, Shri Raghunir Doyal Misra, Shri Vishwambhar Dayal Tripathi, Shri Mool Chand Jam, Shri K T K Tangamani, Shri Kushwaqat Rai, Shri Ajit Singh Sarhad, Shri Samat Prasad, Shri Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H C Dasappa, Shri Naushir Bharucha, Sardar Hukam Singh, Shri Jamal Khwaja Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar, Dr Susha Nayar and the mover, with instructions to report by the first day of the next session"

Shri G. B. Pant: I would request the leave of the House to allow me to go now as I have some urgent work. My friend, Shri Datar, is better qualified to deal with this than I am

Mr. Speaker: The House is not prepared to accept that statement, though I have no objection to permit the hon. Minister to go.

Shri Raghunir Sahai: At the very outset, I may say that I have no intention or any desire to delay unnecessarily the passage of this Bill, but my only complaint is that a Bill of the nature should have been more elaborate and comprehensive and it should serve as a model to very many other States where Panchayat Raj Acts exist. Towards the end of his speech, the hon Home Minister also observed that he never realised before that this Bill would be of such great importance. I am thankful to him for these remarks

My contention is that this is a very sketchy Bill seeking to amend section 151 of the Delhi Land Reforms Act, 1954 and making consequential changes in the Panchayat Raj Act, investing the Panchayats with criminal powers, thereby empowering them to decide criminal cases and awarding a sentence of Rs 100 as fine. They are invested with powers to decide criminal cases of a very minor character coming under the Indian Penal Code or the cattle Trespass Act or the Gambling Act

I feel that the village panchayats constitution a very big problem, in fact a burning problem of the day, as important as the co-operatives or perhaps even more important, because on the efficient working of these panchayats would depend the success or otherwise of so many of our plans. My own experience is that there had been a great demand from most of the members of the informal consultative committee on community development and many other persons interested in the subject that a model Bill relating to Panchayat Raj should be prepared here, so that it might serve as a model to so many other States in India. When a Bill of this nature is being sponsored by the Home Ministry here, we expected that that Bill would have been a model Bill

Legislation on this subject exists in almost every State, but you will find that it differs from State to State in regard to the jurisdiction of panchayats, the method of their election,

their functions or the resources at the disposal of the panchayats. What I feel is that there must be some similarity about these provisions, though of course, variations may be called for here and there according to the exigencies of the situation

We find that on 31st March, 1958 1,64,358 village panchayats existed all over the country. But it is very important for us to consider how these panchayats spread over every part of the country excepting perhaps in West Bengal and Delhi have been functioning all this time. Individual experience apart, I will quote the opinions about the working of these institutions from two authoritative sources, viz., the Fifth Report on the Working of Community Development and NES Blocks by the Programme Evaluation Organisation in 1958—that is perhaps the latest publication on this subject—and secondly, the report of the Study Team for Community Development and NES Blocks in 1957, better known as the Balwantrao Mehta Committee Report. With your permission, I would quote certain remarks from these two pronouncements I would beg of you and hon. Members of this House to note these observations very carefully.

The fifth report of the Programme Evaluation Organisation says

“Our study does not show that the meeting of the Gaon Sabhas have been successful. They have failed to evoke popular enthusiasm and have, generally speaking, proved ineffective. Panchayats in many areas do not discharge even their elementary civic responsibilities adequately. The load resting on their shoulders should be increased only as they gain experience and strength. The standard of literacy among the members of the panchayats is very low. As a result, the running of the institution is left largely to the President or Secretary, and when the panchayat members including the President

are only half literate, the Secretary tends to run the institution for them rather than operate as its servant. Our study shows that this has dampened the enthusiasm and thwarted the initiative of the panchayat members and given to the villagers the impression that the panchayat is merely an instrument of the higher government.”

This is from the Evaluation Organisation Report. Now I come to the Study team on Community Development Blocks. It says

“The available information indicates that possibly not more than ten per cent of the total number of panchayats are functioning effectively. The actual performance of panchayats is generally limited to making arrangements for sanitation, conservancy, construction and repair of fair weather roads, provision of domestic water supply and street lighting. Even these simple and elementary civic functions are not being performed with the degree of efficiency over large areas. Only a small number of panchayats, particularly those situated within or near the block areas have shown a zeal for development activities on an appreciable scale.”

Then it says:

“Despite the multiplication of the number of panchayats, their achievements on the whole are modest and unevenly distributed among the States and within the States these are confined to relatively small areas. There is a wide gap between the legislative framework and the actual work.”

These are important remarks. It further says

“The method of inspection continues to be occasional routine visits for check up of registers

[Shri Raghbir Sahai]

maintained or required to be maintained by the panchayats, as against trying to solve their difficulties and stimulating them into constructive activity through persuasion and sympathetic understanding of the problems facing them, which is the prime need. Lastly, complaints of discrimination in assessment are fairly common and there are not a few cases of deliberate victimisation. There are heavy arrears in almost all States."

Now I have quoted copiously from these two authoritative pronouncements. As I said, individual opinions about the working of these institutions may vary from individual to individual. But these authoritative pronouncements cannot be brushed aside with contempt, because these two bodies have been on the spot and have examined things very minutely.

When we are legislating for the panchayat raj here, the legislation should serve as a model for all the States in the country. So we have to see how we can make these bodies effective and how the very purpose of the legislation can be carried out by these bodies and how they can be made an agent for all development works in the villages such as the grow more food campaign and numerous other problems in regard to development.

At present what we find is that these village panchayats consider that they are saddled with certain routine duties which do not evoke any enthusiasm in them. In fact, they do not feel enthusiastic about them. Now the problem is how to make them more enthusiastic. I for one would suggest that besides imposing on them those routine duties of a municipal nature it would be worthwhile if we try to secure their confidence by asking these *gaon sabhas* to make reports

on natural calamities such as damage done by floods, famine, loss of crops, loss of human life or cattle, pest or disease among cattle or epidemic, and if these reports are found to be correct then relief measures should be given effect to. At the present moment, what we find is—I do not know about Delhi State, but about Uttar Pradesh and other States I can say with a certain amount of confidence—that all these duties are being discharged by the *lekhpai*, *amin*, *patwari* or the *kanungo*. The people in the villages have got the least confidence in these agencies and they feel that their cases go by default. Proper relief does not go to them and they are not being consulted in vital matters which affect them. Now if we want these village panchayats to become live bodies then they should be called upon to submit reports with regard to losses that are incurred by them from time to time as a result of floods, famines and so on and so forth. Then, whenever any relief is being distributed to village people, that should not be done only through the agency of the *tehsildar* or the *kanungo* or the *lekhpai*, it should be done under the eye of the President of the *gaon sabha* or the members of the village panchayat so that they may feel that they are being trusted, their advice is being looked upon with a certain amount of respect and in the distribution of relief they are also being given some hand.

At the present moment, we find that these village bodies lack any community spirit. So, we have to create that also. If we want to make these bodies effective, we will have to inculcate the members of the *gaon samaj* and *panchayat adalat* that they act for the benefit of the community so that everyone of them will see that public funds are being utilized properly and they work in harmony with the officials that are being sent there. All these things should have been borne in mind when a legislation of this kind was being drafted by the Home Ministry.

Coming to the *nyaya panchayat*, I will be the last person to oppose the *nyaya panchayat* being invested with powers to decide criminal cases. But we should not shut our eyes to past experience about the administration of justice done through *nyaya panchayats* in other States. So far as Uttar Pradesh is concerned, I can say that we have got a very regrettable experience about the working of these bodies. It is being said day in and day out give them more power. I do want that more power should be given to them. But certainly gambling with administration of justice should not be permitted. Give them more power in every other respect, but so far as administration of justice is concerned, we should see that these powers are being given to them with proper checks and safeguards. Suppose by the maladministration of justice done through these *nyaya panchayats* the people in the villages lose confidence in the very system of administration of justice, then what will happen? So, I would like the Minister in charge of this Bill to consider this aspect also from a very dispassionate point of view.

I am glad to know that these *nyaya panchayats* will be constituted from a very large number of villages and care would be taken to see that the *panches* selected thereby come up to our expectations. Some such recommendation was made by the Balwant Rai Committee also.

Lastly, I would also make one observation that, because we expect so much from these *village panchayats*, every possible care should be taken to see that these *village panchayats* are kept free from all sorts of political influences in the elections. We find from reports that there are already factions, there are already squabbles in the villages, and if political influences are being brought to bear on these, things will go from bad to worse. I only expect that these villages will be kept free from political influences.

I also hope that the many points that I have made out will be borne in mind by the hon. Minister. My only purpose in moving this amendment seeking to refer this Bill to a Select Committee was that all these aspects should be considered. I did not think it worthwhile to move a motion that the Bill should be circulated to elicit public opinion. That would have taken more time. But, in any case, so that it may satisfy public opinion all over the country, it should be more elaborate, and more comprehensive.

Mr. Speaker: Motion moved.

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Radha Raman, Shri Raghubar Dayal Misra, Shri Vishwambhar Dayal Tripathi, Shri Mool Chand Jain, Shri K. T. K. Thangamani, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ajit Singh Sarhadi, Shri Sumat Prasad, Shri Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H. C. Dasappa, Shri Naushir Bharucha, Sardar Hukam Singh, Shri Jamal Khwaja, Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar, Dr. Sushila Nayar and the mover, with instructions to report by the first day of the next session."

May I know how many hon. Members would like to participate in this discussion.

Some Hon. Members rose—

Mr. Speaker: Three hours have been allotted for this Bill. I find that 13 hon. Members would like to speak on this. If the motion to refer the Bill to a Select Committee is not carried, we have to dispose of this Bill. How shall we divide the time allotted?

Shri Radha Raman (Chandni Chowk) 2½ hours for general discussion and half-an-hour for clause-by-clause consideration.

Mr. Speaker: Even at the rate of 15 minutes per Member I can only accommodate 10 Members. Nearly 15

[Mr. Speaker]

hon. Members want to speak. The hon. Minister will also have to reply.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, I would suggest that those hon. Members who spoke yesterday on the Delhi Land Reforms (Amendment) Bill should not be given a chance today.

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): That Bill is different from this

Shri Radha Raman: This Bill relates to Delhi, and therefore Delhi Members should have their say

Mr. Speaker: I shall bear in mind that this Bill relates to Delhi and give preference to hon. Members from Delhi. Yesterday, when it was suggested that both the Bills may be taken together it was stated that except for "Pradhan", "Upa-pradhan" and a few other terms which are taken from the other Act there is not much in common between the two. Therefore, though there is some relation between the one and the other, I will proceed on the basis that this is absolutely a different Bill. I shall allow ten minutes to each hon. Member

श्री० रणबीर सिंह अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रघुबीर सहाय जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और वह इसलिये मैं मानता हूँ कि मन् १८५४ के अन्दर एक कानून दिल्ली विधान सभा में पास किया गया ताकि देह तो के अन्दर पंचायते बनें और देहान का काम कुछ ठीक तरीके से चले और देहाती बकीलों से सुटने से बचें लेकिन किमी न किमी कारण से वह १९५४ ६५६ में मा गया। पांच साल बीत गये हैं, अब भी बकील साहब लोग चाहते हैं कि इस को कुछ और भागे बढ़ा दिया जाय।

श्री प्र० सि० बोलता (झज्जर) : मैं उन बकीलों में से हूँ जो पंचायतो के लिये ज्यादा पावर चाहते हैं।

श्री० रणबीर सिंह : मुझे ख़ुशी है कि जिन को मुसालिस्त करनी चाहिये वे वह हमारे साथ सहमत हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि हो सकता है कि इस कानून के मस्विदे में अच्छे ढंग से तबदीली हो सके, लेकिन इसलिये कि हम कोई ऐसा अच्छा कानून बनायेंगे जिस में कोई गलती न रहेगी, हम इन्तजार में बैठे रहें और कमेटी बनायें, या लोगो के पास उन की राय जानने के लिये इस को भेजे, यह ठीक नहीं है। अभी नागपुर के अन्दर प्रेम का अधिवेशन हुआ। लोगों ने वहाँ पर कुछ अपना मत जाहिर किया कि सारे देश के अंदर पंचायतों को मजबूत बनाया जाय। इस से ज्यादा मेरे साथी लोगो मे क्या जानना चाहते हैं। लोगो की राय बिल्कुल मान है कि सारे देश के अंदर जल्दी से जल्दी पंचायते बनें और वह अच्छे ढंग में काम करे।

मेरे लायक दोस्त न अभी बताया कि पंचायतो में कुछ खराबियां मा जानी है और कहा उन के बारे में लोगो की राय खराब हो जाती है कि पंचायतो के अन्दर न्याय अच्छा नहीं मिलना। मैं उन को बताना चाहता हूँ—इस को किमी की बेइज्जती न माना जाय—कि देहाती आदमी जो नैमने बड़ी बड़ी अदालतों में होने हैं उन में कोई बहुत ज्यादा लुग नहीं है। बहुत ज्यादा उन की तसल्ली ही है कि वहाँ जो फैसले होते हैं वे बहुत मही ही होते हैं। हो सकता है कानूनी तौर पर शायद वे सही हो, लेकिन जब देहात के अन्दर जा कर देखा जाता है तो जो देहात में रहने वाले साथी हैं वह बकीलो की बहुत के बाद जो फैसले होते हैं उन को अच्छा नहीं बल्कि खराब मानते हैं। इस विषयक में जो सब से अच्छी चीज मैं पाता हूँ वह यह है कि बकीलों को इस से थोड़ा रकवा गया है। बकीलो की वजह से कई देहातों के अन्दर ख़ासी खराबियां मा जाती हैं। गांवों की पार्टीबाजियों का जिक्र किया गया

में निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव की पार्टीबाजियों से वकीलों द्वारा जो पार्टीबाजियां होती हैं वह ज्यादा नुक्सानदेह होती हैं। इसलिये मुझे बहुत खुशी है कि वकीलो से देहातों की कुछ हर तक जान छटी।

हो सकता है कि ज.पंचायत के फैसले होने हैं उन को वकील लोग आगे वाली अदालतों में ले जायें और उन में फिर पंचायतों और देहातों को लीचें। ऐसा आज भी हम ने देखा है। उन्होंने कुछ गिला किया कि हिन्दुस्तान के अन्दर पंचायतें अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं। इस के बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है। इसलिये भी कि अखिर जो पंचायती हैं उन की भर्जों के मुताबिक समझ कर प्राप जिस कानून का मस्विदा बना कर भेज रहे हैं वह शायद बहुत ज्यादा ऐसा न हो। इस के अलावा जैसा मैं ने कहा बड़ी बड़ी कानूनी किताबों को पढ़ कर जो फैसले आज कराये जाते हैं भले ही वह फितने ही अच्छे हो, लेकिन उन में भी देहात वालों की तसल्ली बहुत नहीं होती। इस -ीग से कही कोई खराबी न पैदा हो जाय इसलिये हम अपना काम करना ही थोड़ा दें, इस 5 लिये मैं और ज्यादा क्या कहूँ, सिवा इस के कि मैं इन्ने अच्छी नीति नहीं मानना। इसलिये दिल्ली के देहातों की भलायत के लिये जितनी जल्दी पंचायत राज कायम हो सके हमें उसे लाने की कोशिश करनी चाहिये और उसको चाहे महीने के लिए या साल के लिए यह जो धकेलने की कोशिश है वह सही कोशिश नहीं है और मैं समझना हूँ कि श्री रघुवीर सहाय भी इस हद तक मेरे साथ सहमत हैं कि वे चाहते हैं कि जल्द अथ जल्द पंचायत राज्य देहली के देहातों में कायम हो।

13 hrs.

अध्यक्ष महोदय, अब यह हर एक सदस्य जानता है कि जहाँ कोई एक बिल एक दफ़ा

सेलेक्ट कमेटी के पास गया वह साल या छ महीने के लिए खटाई में पड़ जाता है। अब इस दिल्ली के छोटे से सूबे के लिए इस कानून को आने आने ५ साल लग ये। आज सुबह मैंने जिक्र किया कि दिल्ली के देहातों के अन्दर जो हमारे भूमिहीन ग्रामीण भाई बसते हैं उनको अनाज किसी भाव भी नहीं मिलता है तो मंत्री महोदय कहने हैं कि देहात के काश्तकारों के पास, बड़े बड़े काश्तकारों और जमींदारों के पास काफी अनाज जमा है।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रश्मिन—अनुसूचिन जातिया) पंजाब के लिये कहा है।

श्री० रघुवीर सिंह पंजाब और दिल्ली में कोई खाम फर्क नहीं है। भूमिहीनों के लिये अनाज चाहिये। मैं मानना हूँ कि पंचायत राज्य कानून में जो भाई शहर से म्बर है, उनके तर्कों की आवश्यकता नहीं है और न ही यह आवश्यक है कि वे दिल्ली के ही हों और तजुबों वाले हों क्योंकि तजुबों के बगैर ऐसे सदस्य जाकर इस कानून को पैदा और खराब ही बनायेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि करन, मद्रास और आंध्र के वे भाई जिनका कि देहातों में तान्त्रिक हो और जिन्होंने कि पंचायत के कानून और पंचायती अदालतों के फैसले होने देखे हैं, ऐसे लोग इस पर बोलें और वे इस सम्बन्ध में कोई अपनी राय दें, यह बेहतर है बजाय इसके कि चूकि फना व्यक्ति दिल्ली से आने हैं और इसी बिना पर उनको ही राय देने दें यह ठीक नहीं होगा।

देहात वालों को आमतीय पर इसकी शिकायत रहती है कि उनकी चीजों के अन्दर शहर वाले भाई चूकि वे ज्यादा बोलने वाले होने हैं और उनके पास अखबार होने हैं इसलिए वे उनके मामलात में दखल देकर उनको खराब करने रहने हैं। अब जहां तक पंचायतों को शक्ति देने के बारे में उनके

[श्री० रघुवीर सिंह]

विले का तात्पर्य है, हो सकता है कि मैं छावट उनकी भावनाओं को ठीक तरीके से न समझ पाया हूँ लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि जिस कानूनी शक्ति को पंचायतों को देने का उन्होंने विरोध किया तो उसके लिए मेरा कहना है कि पंचायतों को खाली कानूनी शक्ति देने भर से वे वाटरबर्क्स नहीं बना सकती हैं और न ही वह गावों को एलेक्ट्रिफाई कर सकती हैं और बिजली के लट्टू लगा सकती हैं, बिजली और पानी की सुविधाओं को पट्टाचाने के लिए तो पंचायत को रुपये की दरकार है। पहले ग्राम पंचायतों को रुपये दीजिये उसके बाद फिर इन चीजों का गिला कीजिये।

४८०० करोड़ रुपया जो पांच माला योजना के अन्दर रखा है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि इस ४८०० करोड़ में से पंचायतों की मार्फत कितना रुपया खर्च करन का इरादा है? मुश्किल से ३५ करोड़ रुपया रखा हुआ है जो कि पंचायतों की मार्फत खर्च होगा। अब ३४ ३५ करोड़ के लिए तो गिला करते हैं लेकिन जो ४८०० करोड़ है उसका कुछ जिक्र नहीं और इसमें हमें भ्रमशा होता है कि हमारे वह साथी किधर सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि वे अगर गिला करना चाहते हैं तो भले ही करे लेकिन कम से कम इन चीजों में ता मरे साथ अवश्य रहें कि पंचायत के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले और थर्ड फाइव ईयर प्लान जो आगे आने वाला है और सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के जो अभी दो साल बचे हैं उसके अन्दर क्या के ज्यादा रुपया पंचायतों की तरफकी के लिए दिलाने का प्रयत्न करे। थर्ड फाइव ईयर प्लान में ४०० करोड़ के करीब रुपया पंचायतों को दिया जाय ताकि पंचायत तरफकी करे। और फिर अगर श्री रघुवीर सहाय या किसी दूसरे साथी को जो शहरों में रहते हैं उनको कोई गिला रहे तो मैं मसझूंगा कि उनकी शिकायत करने की कोई कीमत है करना

यही समझा जावेगा कि चूँकि ग्राम में बौजल की शक्ति है इसलिए ग्राम महज गिला करने को गिला करते हैं।

मैंने जैसे शुरू में कहा मैं मानता हूँ कि जितने इसके अन्दर प्राविजंस हैं, जितने इसके अन्दर बजाजेट हैं वे कोई तमाम के तमाम बहुत ज्यादा सही नहीं हैं। अब चुनाव का ही सिलसिला ले लीजिये। गाव के अन्दर चुनाव कोई बहुत अच्छा वायुमंडल पैदा नहीं करने लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं चुनावों के खिलाफ हूँ। चुनाव तो होने ही चाहिये लेकिन चुनाव किस ढंग में हों, इसके बारे में कई एक राय हो सकती हैं। इस कानून के अन्दर चुनाव के सिलसिले में इस ढंग से कुछ ऐसी थोड़ी बहुत तबदीली की जा सकती है नाकि गाव की फिजा जो कई दफे चुनावों के बाद खराब हो जाती है वह न हो। अब एक तरफ तो पिजा के मामूली मी खराब होने का लतरा है और दूसरी तरफ पंचायत के न हाने में दिल्ली ने देहान को जो मुश्किलान है, उमवा मवाल मामने है। इसलिए दोनों बातों को मचने पर और दानो शिकायतों और तकलीफों का दखन हुए मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की पंचायत राज्य का जो कानून है वह अगर ५ मिनट या १० मिनट पहले पास हो सके तो पाम किया जाना चाहिए और इमीलिए बावजूद इस बात के कि दिल्ली के बारे में मैं काफी कह सकता था मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

Mr. Speaker: Shri Radha Raman

Shri Radha Raman rose—

Shri P. S. Daulta (Jhajjar) All Congressmen'

Mr. Speaker: Does the hon Members come from Delhi?

Shri P. S. Daulta: Near Delhi

Ch. Ranbir Singh: Almost Delhi.

Shri P. S. Daulta: He comes from Bazaar which has nothing to do with panchayats.

Mr. Speaker: I called him first. Every hon. Member will be called. I called Chaudhuri Ranbir Singh first. I should have first called hon. Members who came from Delhi.

Shri P. S. Daulta: After the hon. Minister has this practice of calling hon. Members from the largest Party to be followed?

Mr. Speaker: It does not matter. These are not controversial matters where party interests are concerned. I treat it on a non-party basis.

श्री राधा रमण : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पंचायत राज्य मशोधन बिल जो सदन के सामने मौजूद है उसको जल्द से जल्द दिल्ली के गावों के अन्दर लागू करने का खयाल जो अभी हमारे लायक दोस्त ने यहाँ सदन के सामने रखा मैं उसका स्वागत करता हूँ। अब यह तो उनकी भावना है कि वे शहरी और देहाती लोगों को अलग अलग देखने हैं लेकिन मैं उस तरह नहीं देखता। मैं तो हिन्दुस्तान को एक मानता हूँ।

श्री० रणवीर सिंह : एक कथा है यहाँ आप मोटर पर चलते हैं।

श्री राधा रमण : आपको भाटर पर चलना क्या बुरा लगता है ?

श्री० रणवीर सिंह : मश बुरा तो नहीं लगता लेकिन उनको जग देहानों में भी तो भेज दीजिये।

श्री राधा रमण : जब कभी इम किस्म के सवाल आते हैं तो हमारे मित्र इस तरह की छोटी छोटी बलीले दे देते हैं लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि आपकी बात सही समझी जा सकती है तो यह बुरा मुश्किल है। जब भी इस किस्म का कोई सवाल हमारे सामने आवे तो हमें एक वेहाल और शहर में भेज करके

उसको नहीं देखना चाहिये बल्कि हमें यह देखना चाहिये कि किस तरह हम पूरे हिन्दुस्तान का भला कर सकते हैं। अगर हमें जम्हूरियत को मजबूत करना है तो अपने तमाम गावों के अन्दर पंचायत राज्य को कायम करना जरूरी है। यह मशोधन विधेयक जो कि इस समय सदन के सामने पेश है एक बहुत जरूरी विधेयक है और कल जो हमने यहाँ पर दिल्ली लीड रिफार्म मशोधन बिल पास किया है उससे इसका तात्लुक है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल की जो धाराएँ हैं विशेष कर जिसमें कि हम ने उन तमाम वोटरो को जो कि पार्लियामेंट मेम्बर्स की कास्टीटुएमीज के हैं, उनको गाव सभा का मेम्बर बनाने का फॉर्मला किया या जो उसके अन्दर तजकिरा है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं माय ही माय इम बाल का भी स्वागत करता हूँ कि इम पंचायत राज्य मशोधन बिल के पास होने के बाद बहुत सारे उन गाव वालों में जो आपस के अगडें होते हैं और जिनके कि लिए उनको एक बड़ी कीमत भदा करनी पडनी है और कचहरियों में जाना पडता है, उममें बहुत ज्यादा खजान मिलेगी। मैं तो समझता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान में नरककी हो सकती है और जन्दी नरककी हो सकती है तो उसके लिए जरूरी है कि हम न सिर्फ देहानों के लिए बल्कि शहरो के लिए भी कोई ऐसा तरीका जारी करे कि जिससे हम आपस में बैठकर अपने अगडों के फॉर्मले कर लिया करे और जो जिसका हक हो वह उसको मिल जाये। अगर मुल्क के अन्दर जम्हूरियन नरवोनुमा पा सकती है तो वह इसी तरीके से पा सकती है। यह नहीं समझना चाहिए कि अगर किसी माहब ने इस बात के लिए मजूरी दे दी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाय, तो वह इसलिए किया है कि इसमें देरी लगे। यहाँ पर एक तजबीज श्री रघुवीर सहाय जी की है कि जिसमें उन्होंने तीन चार महीने की मोहलन मांगी है। अगर हमारे गृह मंत्री जी को यह तजबीज मंजूर होती कि इस बिल की धाराओं

[श्री राधा रमण]

पर फिर एक बार गौर कर लिया जाय तो हम दस पन्द्रह दिन के अन्दर ही बैठकर ऐसा कर सकते थे। इसमें तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि जिसमें शहरी और देहाती का सवाल पैदा किया जाय। हमने तो इसके लिए इसीलिए स्वीकृति दे दी थी कि अगर गृह मंत्री जी इस बात को मंजूर करे तो यह की जाय। सेवान भभी तीन महीने चलेगा और अगर दस दिन की भी मोहलत मिल जाये तो हम इसकी धाराओं को अच्छी तरह देखकर विचारपूर्वक सदन के मामले ला सकते हैं। लेकिन अगर गृह मंत्री जी को यह मंजूर नहीं है तो किसी भी मेम्बर की, चाहे वह दिल्ली का हो या बाहर का, यह स्वाहिसा नहीं है कि इसमें देरी की जाय या इसके रास्ते में कोई रुकावट डाली जाये। जिस मजबूती से बार बार इस तरह के बिल को लाने के लिए कहा गया है उससे भी जाहिर है कि हम लोगों की यह स्वाहिसा थी कि इस पंचायत राज्य संशोधन के मुताबिक ठीक ठीक काम हो।

दिल्ली के आस पास जो देहाती लोग धाबाद हैं मैं समझता हूँ कि उनकी मस्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो भी सस्या हो यह विधेयक उनके लिए एक न्यायन होगी और वे बहुत सारे झगड़े फमादों से बच पायेंगे जिनके खर्चों में वे लदे रहते हैं और जिनके कारण वे उभरने नहीं पाते। यह कानून उनको इन झगड़ों में बचा मकेगा और जो पंचायत अदालतें बनेगी उनमें वह इन्साफ जिसकी हम उम्मीद करते हैं लोगों को बगैर खर्च के मिल सकेगा।

इस बिल में जो अधिकार चीफ कमिश्नर को दिया गया है जिसके द्वारा वह देहातियों को उनकी मुनीबतों से बचाने के लिए काम कर सकते हैं, वह भी देहातियों के लिये खुशगवार होगा और इस की वजह से उनकी जो अपने फसले करवाने में अभी दिक्कत होती है वे भी दूर हो जायेंगी।

इसलिए मैं निहायत धवद से धर्ष करूंगा कि इस बिल के बारे में इस सभाल को सामने न रखा जाये कि इस सदन का कोई भी मेम्बर, चाहे वह दिल्ली का नुमायन्दा हो या न हो, यह स्वाहिसा रखता है कि इसकी मंजूरी में देरी हो। बल्कि हम में से हर शख्स यह चाहता है कि यह कानून बन कर जल्द से जल्द लागू हो और जो इसकी धाराओं का मकसद है वह पूरा हो। खासकर हम चाहते हैं कि हमारी देहातों में गांव सभायें कायम हो। उन गांव सभाओं में जो लोग शामिल हों, या जो लोग नियत किये जायें या इलेक्ट किये जायें वे गांव के फायदे और नुकसान के बारे में पूरे तौर पर सोचे और जिन झगड़ों का फैसला होने में अभी महीनों और सालों लगते हैं वह कम वक्त में और बगैर खर्च के फैसले हो जायें। कभी कभी देहातों के ये धरेलू झगड़े इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि नसलो तक चलते हैं और इनकी वजह से गांव वालों की शक्ति कमजोर होती है। गांव वालों की शक्ति हो तो हमारी शक्ति है। इसलिए उस दक्ति को बचाकर हम देश को तरक्की दे सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कानून में ये सारी बाते पूरी हो सकती हैं।

मैं चाहता हूँ कि श्री रघुबीर सहाय जी के मिलेट कमिटी के मोशन को किसी तरह से भी मिसअडरस्टैंड न किया जाये और अगर किसी साहब ने अपने नाम की स्वीकृति दे दी है तो उसे भी मिसअडरस्टैंड न किया जाये। इस हाउस को ऐसी तजबीज पास करने का हक है। और अगर यह हाउस समझता है कि इस बिल की धाराओं को पूरी जाच पडताल के बाद ही लाया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें और देरी लगाने की जरूरत नहीं है। और इस कानून को जल्दी से जल्दी पास कर के देहातों में लागू कर दिया जाये क्योंकि हमारे देहाती भाई इसका धरखे

के इन्तिज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस से उनकी बहुत मुसीबतें दूर हो जायेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह जल्दी से जल्दी कानून बन कर लागू हो जायेगा।

श्री नवल प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पंचायत राज्य अधिनियम का जो यह संशोधन विधेयक हमारे सामने है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और श्री रघुवीर सहाय जी ने जो प्रवर समिति को इसे भेजने का संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि लगभग ६ वर्ष पूर्व दिल्ली के गावों में पंचायतें तोड़ दी गयीं थीं और जब से ये पंचायतें टूटी हैं तब से गावों में, जिसकी लाठी उसकी भेम बाला हिमाब हो रहा है। लोग अन्धधुन्ध कानून तोड़ने में लगे हुए हैं। आज अवस्था यह है कि चकबन्दी में अगर कोई गन्ना छोड़ दिया गया है तो उसको जो जबरदस्त लोग हैं वे तोड़ लेते हैं। यह मामला पटवारी के द्वारा मान अफसर के पास जाता है और मान अफसर के पास तकरीबन २००० टन तरह के केस पड़े हुए हैं और वह यह मोचने है कि इनका क्या किया जाये। अगर दिल्ली में पंचायतें काम करती हातीं तो मैं समझता हूँ कि यह बात न होती और लोगों को इस तरह का साहम न होता कि चकबन्दी में जो रास्ते खेतों में आदिमियों और गाड़ियों के जाने के लिए छोड़े गये हैं उनको तोड़ लें। और तो और लोगों ने गोबर भूमि को भी तोड़ लिया। बन को जो कि लोगों के लाभ के लिए है उसको भी तोड़ लिया है। हम चाहते हैं कि ये पंचायतें जल्दी से जल्दी अपना काम आरम्भ कर दें और डक विधान महिला के अन्तर्गत जो अधिकार इन पंचायतों को दिये गये हैं, जिनकी लिस्ट गृहमंत्री जी ने सुनायी है, उनके अनुसार काम करने लगे।

मुझे एक भय है जो कि मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि दिल्ली के 320 L.S.D.—6

गावों में आजकल एक ग्राम विकास परिषद् काम कर रही है। आजकल गावों के विकास का काम डेवलपमेंट कौंसिल के द्वारा होता है, जिन में गांव के चुने हुए या नाम-निर्देशित व्यक्ति होते हैं। यदि पंचायतों में इन लोगों के अनिश्चित दूसरे लोग चुने गए, तो मुझे भय है कि उन दोनों में—विकास परिषद् और ग्राम पंचायत के सदस्यों में—गाव के विकास के प्रयत्न को लेकर मूठभेड़ न हो जाये। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस को स्पष्ट करेंगे।

मुझे एक और भय है। दिल्ली के गावों पर नगर निगम का भी अधिकार है और उस पर ही बहा की सहाइ की जिम्मेदारी है। ऐसी अवस्था में यदि ग्राम पंचायत एक निर्देश दे और नगर निगम दूसरा निर्देश जारी कर दे, तो उन में टकराव होगा। उस को रोकने के लिए इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुझे आशा है कि इस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को सन्तोषजनक उत्तर देंगे।

इस विधेयक की एक बात मुझे बड़ी बिचित्र लगी है। गाव वाले जिस को हीआ समझते हैं वही उन का परामर्शदाता होगा। इस विधेयक में यह प्रबन्ध किया गया है कि पटवारी सरपंच को सलाह देगा, उस को एमिस्ट करेगा और उस का सहायक होगा। स्थिति यह है कि गाव वाले पटवारी को एक लानत समझते हैं, लेकिन वही पटवारी उन का परामर्शदाता होगा। इस अवस्था में वह क्या नहीं कर सकेगा? चकबन्दी के मामले में यह देखा गया है कि वह एक व्यक्ति के नाम जमीन लगा देता है और अगर दूसरे दिन कोई और व्यक्ति उस को एराब कर लेता है, तो वही जमीन उस के नाम लगा दी जाती है। गाव के लोगों में मूठभेड़ कराने वाला व्यक्ति ही परामर्शदाता होगा, यह भी मेरे भय का कारण है। मैं चाहूँगा कि दिल्ली प्रशासन कम से कम पटवारी का यह अधिकार न दे। डेवलपमेंट कमेटी की ओर से

[श्री नवन प्रभानर]

जो ग्राम कार्य कर्ता समाज-सेवा का कार्य कर रहे हैं, उन को यदि यह काम सौंप दिया जाय, तो वह अधिक उपयुक्त होगा। मैं समझता हूँ कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, हिन्दुस्तान के हर हिस्से में पटवारी से गाव वाले डरते हैं। वे समझते हैं कि मिनिस्टर की कलम में शायद इतनी ताकत नहीं है, जितनी कि पटवारी की कलम में है। इस विषयक में जो व्यवस्था की गई है, उस का परिणाम यह होगा कि पटवारी गाव में फूट डालेगा और स्वयं राज करेगा और वह सरपंच को भी नचाता रहेगा, क्योंकि वह उस का परामर्शदाता होगा। इस में सहिता की धाराये दी गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरपंच कोई वकील या जज तो होगा नहीं। जैसे जैसे पटवारी उम को समझा देगा, उसी तरह सरपंच काम करेगा। जो भी बुराई होगी, वह सरपंच के ऊपर प्रायगी और भलाई पटवारी अपने ऊपर ले लेगा कि मैं ने यह किया है।

अन्त में जो वान मैं कहना चाहता हूँ उस को मैं बहुत गम्भीर गमजता हूँ। यह देखा गया है कि जिनकी उदारता यहाँ शहर में एक हरिजन के प्रति है, गाव में अभी उनकी नहीं है क्योंकि हमारे गाव पिछड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में हरिजनों के मामले में पंचायत अदालतें जो निर्णय देती हैं उनमें मुझे कुछ सन्देह होता है। मेरे मामले इस तरह के बहुत सारे केमिज प्राप्त हैं। मैं उन को यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं उन के निर्णयों को देखता हूँ, तो मेरी अन्तरात्मा काप उठती है। मैं चाहता हूँ कि इस विषयक में ऐसा प्रबन्ध बना चाहिये कि जो हरिजन ग्राम पंचायत या मार्कल अदालत का सदस्य होगा, उस को यह अन्तियार होना चाहिए—उस को एक तरह से यह वीट; पावर होनी चाहिए—कि किसी ऐसे मामले में, जिस में किसी हरिजन के सम्बन्ध में निर्णय दिया जाय यदि वह उस

निर्णय का साथ न दे, तो उस निर्णय को अंतिम न माना जाय, बल्कि उस पर फिर विचार किया जाय और अगर ग्राम पंचायत को महसूस हो कि उस का निर्णय ठीक है, तो भी उस मामले को ऊपर की अदालत में भेज दिया जाय और वह निर्णय हरिजन पर एक दम न थोपा जाय। माननीय मंत्री ने मेरा विनम्र और साधु निवेदन है कि पंचायत में हरिजनों का बहुमत तो होगा नहीं—उन का एक ही सदस्य होगा और ग्राम तौर पर गावों में यह कोशिश भी की जाती है कि कोई ऐसा हरिजन सदस्य छाटा जाय, जो या तो बोलेगा नहीं और अगर बोलेगा, तो उस की बात नहीं मानी जायगी। मैं ने यह सुझाव दिया है कि यदि हरिजन सदस्य को किसी हरिजन के सम्बन्ध में—केवल किसी हरिजन के सम्बन्ध में—दिए गये फैसले में मन-भद हो, तो उस का फैसला उस पंचायत में न हा और उस मामले को आगे भेज दिया जाय। अगर वह गिावल अदालत है, तो काउंसल-जज उम का फैसला दे और यदि कोई त्रिभिनल मामला है, तो उस को किसी मजिस्ट्रेट के पास फैसले के लिए भेज दिया जाये। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव का मान लेंगे।

मैं इस बिन के पास करने में देरी करने के हक में नहीं हूँ। यह मामला बहुत पिछड़ा हुआ है। दिल्ली के गाव वाले यह महसूस करने हैं कि यहाँ पर तुरन्त पंचायतें स्थापित होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जो से मैं यह भी कहूँगा कि इस बिन के पास होने के बाद वह दिल्ली प्रशासन का मेहरबानी कर के यह भी कह दे कि अप्रैल के महीने में फसल कटने के बाद जैसे ही किसान खाली होता है, तुरन्त इन पंचायत के चुनाव करा दें। ऐसा न हो कि वे लोग दूसरी फसल बोने के चक्कर में हों और आप कहें कि अब चुनाव होने

चाहियें। मुझे आशा है कि यदि ये चुनाव वगैर संघर्ष के हों जायें, तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो संघर्ष होगा ही, क्योंकि गावों में घाम तौर पर पार्टी-बाजी होती है। मैं राजनैतिक पार्टियों से भी कहूंगा कि वे गावों की हवा को न बिगाड़े और गाव वानों को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने दें और अपनी इच्छा के मुताबिक अपने गाव का प्रशासन चलाने दें। यदि हम में वह थोड़ी खराबी और बुराई भी करने है, तो हमें उस को तटस्थ भाव से देखना चाहिये और उन के मामलों में किसी तरह की दखल-अदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री पंचायतों के चुनाव शोघ्राति-शीघ्र कराने की कृपा करेंगे।

श्री प्र० सि० बोलता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, पंडित पत न फरमाया था कि यह छोटा सा बिल है और मैं नहीं समझता कि इस में आधे घंटे से ज्यादा लगना। यह बिल छोटा सा तो है ही और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि जहां तक इस बिल का तात्त्विक है, इस में पन्द्रह मिनट से ज्यादा वक्त लगने की बात नहीं है। इस बिल में कुछ कान्फिडेंशियल अग्रेमेंट्स के अलावा, जो कि दूसरे कानून की वजह से करना पड़ रही है, एक बात के सिवा पार्लियामेंट के सवाल इन्वाल्ड नहीं है और यह है कि बड़ी थोड़ी सी पावर हम में दी गई है—सी रूपां तक जुर्माना हो सकता है, कैद की सजा इस में नहीं है। पंचायतों के बारे में मैं जानता हूँ। हमारे पूर्वों की पंचायतों के मुनाफिक मुझे मालूम नहीं है। यह बिल बजाने-खुद कांड ऐसा नहीं है, जिसके लिए बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत हो। लेकिन हाऊस चार घंटे जो इस बिल के लिए चाहता है वह भी जस्टिफाइड है और इसका कारण यह है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा बुनियादी सबाल है। दिल्ली बूक सेंटर का सूबा है और दिल्ली के बारे में

पंचायतों के मिलसिले में आप जो भी कदम उठाने हैं उसमें हमारी गवनेमेंट की जो नियत है उसका अदाजा लग सकता है और उस सब का पता लग सकता है कि किस तरह हवा जा रही है।

13:31 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

हमें इस बात का पता चल सकता है कि हम किधर जाना चाहते हैं और किधर जा रहे हैं। नगरपुर में कुछ रेजोल्यूशंस पास किये गये हैं और उनमें पाम किये हैं जो कि रूनिंग पार्टी का एक विंग है और उन रेजोल्यूशंस को आप किस तरह से अमली जामा पहनाने हैं और किस हद तक पहनाने हैं, यह देखना हमारा फर्ज है। जब इस नुत्तेनजर में मैं इस बिल को देखता हूँ तो मैं यह बताने नहीं रह सकता कि यह एक बड़ा अफमोमनाक और मासकुन बिल है। यह बिल हमें अपने मरम्मत की तरफ, दूर नहीं ले जाता है, उसके यह बहुत थोड़ा दूर ले जाता है।

जानब डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक अनियादी सबाल है। राधा रमण जी ने कहा कि बहुत दुख होता है जब शहरी और देहानी का मवाल उठाया जाता है। मैं भी समझना हूँ कि जब यह मवाल उठाया जाता है तो जरूर दुख होता है और मैं इसको एप्रोशियट भी करता हूँ। लेकिन जो हकीकत है उससे हम आगे बन्द भी नहीं कर सकते हैं। हकीकत यह है कि अग्रेजों के आने से पहले भी जो यहाँ की सिविलाइजेशन थी—उस वक्त जब मुगलों का यहाँ राज था और उसमें पहले भी—अबन हकूमत थी, अबन सिविलाइजेशन की उस वक्त भी शहरों में काजी हकूमत करता था और जो देहान थे वे शहर के पांच मील के फासले पर आबाद

[श्री प्र० सि० दीलता]

वे और अपनी जिन्दगी, अपनी लाइफ अपने तरीक से बसर करते थे। वे लोग अपनी जिन्दगी को अपने सांचे में ढाल कर बिताने के भादी रहे हैं। इसके बाद भ्रजों की आमद हुई। उन्होंने यहाँ पर एक नई मिडिल क्लास को जन्म दिया, ठेकदार पैदा हुआ, वकील पैदा हुए और मिडिल क्लास ने जन्म लिया। भ्रजों ने बगाल और मद्रास से ले कर नार्थ इंडिया तथा, मतलब यह कि सारे हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध दिया। लेकिन उस मिडिल क्लास में जो कि अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी ने ऐसा चक्कर चलाया कि जो देहातियों के रस्म और रिवाज थे, जो उनकी मजमूँ लाइफ थी और जिस को वे बिताते आ रहे थे खत्म कर दिया। वे अर्बन मुगल्स के गुलाम हो गये। उनके तमाम हक और अस्त्यारात खत्म हो गये। यह ब्यरोन्नेमी का नतीजा था।

इसके बाद जब हमारी हकूमत आई, जब हमारा राज हुआ तो फिर से हम ने इस सवाल को उठाया। अब बुनियादी सवाल यह है कि किस हद तक हम उन देहातियों को अपने काम खुद करने के लिय पावर्स देना चाहते हैं। किस हद तक भोजूदा हकूमत जाना चाहती है। मुझे अफसोस में कहना पड़ता है कि आज प्रचार ज्यादा है नकिन असल में देहातियों को कोई स्वास पावर्स नहीं दी जा रही हैं। आज देहातियों की बात की जाती है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हू कि एक बार डिजनेली ने कहा था वहाँ की पार्लियामेंट में, उस वक्त जबकि नई क्लास पैदा हुई थी, मिडिल क्लास और वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कि मेरे मुल्क इंग्लैंड में दो कौमों रहती हैं और उन दोनों कौमों का पहनावा, दिमागी समान, कस्टम, स्टैंडर्ड आ इ सिमिल बिल्कुल डिफरेंट है और ये दोनों कौमों छोटे से जजीरे में रहती हैं जिसको बरतानिया कहते हैं। जो कुछ विनोबा भाबे भी कहते हैं, जो कुछ श्री रणवीर सिंह जी

कहते हैं या जो कुछ बीलता कहता है, उससे कुछ मानने की बात नहीं है। हकीकत यह है कि शहरी शहरी है, देहाती देहाती है, शहरियों की एक दूसरी कौम है। दोनों जजबाती तौर पर भ्रज हैं। जैसे लीडरी करने के लिये, तहसीलदारी करने के लिए प्रोफेसरी करने के लिए वहाँ जा सकते हैं, मगर है वे भ्रज भ्रज।

मैं ने नेहरू जी ने जो किताब डिसकवरी आफ इंडिया लिखी है, उसको पढ़ा है। मैं नेहरू जी की बड़ी वद्व करता हूँ और मैं मानता हूँ कि वह बहुत भारी स्कारर है। उन्होंने जो किताब लिखी है वह मैं समझता हूँ इंडियन सोथोलोजी पर बेस्ट किताब है। उन्होंने उममें बहुत ही दुस्त बाते लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि दूसरे मुल्कों में वे शहरो में कबीले मिल जायेंगे जो देहातो में मिलने हैं लेकिन हजारों बरस से सोने चादी का कारोबार करते हुए, गुप्त, मुगल इत्यादि के जमान से करते हुए, यहाँ पर लोग मिल सकते हैं और वहाँ पर न सिर्फ देहाती और शहरी हैं बल्कि कई बार खून डिफेरेंट है, जाने डिफेरेंट है। कुछ लोग हजागे बरसों में देहातो में रहने चले आ रहे हैं। हमारे नवल प्रभाकर साहब जानते हैं कि गाबो में ही उनकी बहनें ब्याही आयेगी, उनकी शादिया होगी, उनकी रिश्ते-दारिया होगी।

जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है, डिप्टी स्पीकर साहब, कि देहाती अपनी हकूमत चाहते हैं। कई बैलइंटेशंड भाई, अन्धे वकील यह नहीं समझते हैं कि क्यों विमिनल पावर्स देहातियों को दी जा रही हैं। उनको मैं बतलाना चाहता हूँ कि उनका तजुर्बा मेरे तजुर्बे से ज्यादा हो सकता है लेकिन वहाँ पर अगर मुकदमों का फैसला किया गया तो कामून फैसला शायद उतना अच्छा न हो लेकिन इसाफन वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं ने ट्रेडिशनल पंचायतों को देखा है जिन में

इसदरमैयन अन-अपोउड जुने जाते थे और उनके फैसलों को भी देखा है। इसके बाद पंचायत राज एक्ट के अन्दर जो पंचायतें बनी हैं उनके फैसलों को मैंने देखा है। इसके अलावा मेरा १३ साल का अदालती तजुर्बा भी है। इन तीनों किस्मों के फैसलों को मैंने देखा है। मैं आपको बतला सकता हूँ कि तीन चार आदमियों ने लडाईं लड़ी और पाच का नाम लिखा दिया गया और यह इसलिए कि दफा १४९ नहीं लगती और दो आदमी फालतू हो जाते हैं। गावों में अगर इस तरह का झुंझुका जाता तो वहाँ पर आसानी से पता चल सकता था कि इन लोगों ने लडाईं की है। आज कहा जाता है कि जो रेप के केसिस होते हैं वे छिप जाते हैं, बचलने नहीं हैं, एविडेंस नहीं आता है। लेकिन ट्रिब्यूनल पंचायतों के जमाने में इस तरह के केस हो ही नहीं सकते थे क्योंकि सब का पता होना था कि क्या कुछ हुआ है। साथ ही मजा भी ऐसे केसिम में नौ रुपये की नहीं हुआ बरती थी बल्कि बहुत ज्यादा हुआ बरती थी। किमी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह रेप कर सके। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि १९५३ में मैं एक मॉडर्न केस में गया। मैंशन जज को पता था कि जो तीसरा आदमी है, वह मर्डर केस में नहीं था, जो बड़ा भाई था वह शामिल नहीं था, सरकारी वकील को भी यह सब मालम था और मुझे भी मानूम था लेकिन उसकी जो मर्सी पेंटिशन थी, वह डिस्मिस कर दी गई और उसको फामी पर लटका दिया गया।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह मिडिल क्लास जो है यह जो सफेदपोषा क्लास है यह अच्छा इसाफ नहीं करती है। इस वारन में चाहता हूँ कि आप उनको ज्यादा पावर्स दें। जो पावर आप उनको आज देने जा रहे हैं यह मैं समझता हूँ उनके साथ मजाक करना है। उनको आप ज्यादा से ज्यादा पावर्स दें। आप फिरोजपुर से हवाई जहाज में साउथ तक कहीं भी चले जायें आप देखेंगे कि वहाँ डिफेंड किस्म

का डिफेंडमेंट हुआ है, डिफेंड किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। जहाँ पर रीजेंट-प्रोप्राइटर हैं वे बिल्कुल मुस्ताफिक हैं उन प्रोप्राइटियों के देहातो से जहाँ पर अखनऊ के नवाबों ने गावों वा तो का खून चूसा है या दूमरे लोगों ने उनको एक्स-प्लायट किया है।

तो मेरे कहने का मकसद यह है कि जो क्रिमिनल पावरम आप दे रहे हैं वे थोड़ी दे रहे हैं। आपको ज्यादा देनी चाहिये। यहाँ पर दिल्ली के आस पास लोग बी० ए० पास हैं, सोफा सेट्स पर बैठते हैं और उनका स्टैंडर्ड काफी ऊँचा है और उनको आप उम्मी स्टैंडर्ड से न नापिये जिस से आप दूसरे देहातों को नापते हैं और जिन के बारे में आपके पाम रिपोर्टें छपी पड़ी हैं। यहाँ पर आपको इन लोगों के स्टैंडर्ड आफ डिफेंडमेंट को दूसरी तरह से एसेम करना होगा। ये लोग बहुत आगे बढ़े हुये हैं। मौ रूयके के जुरमाने तक की पावर देना उनके साथ मजाक करना है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम उन्त जबकि केरल की गवर्नमेंट ने एक पंचायतों के बारे में कानून बना कर रख दिया है और उममें रख दिया है कि ५० परसेंट टैक्सिम, जिन देहातों में रीयलाइज किये जाने हैं वे उन देहातियों को वही दे दिये जायेंगे तो दिल्ली के बारे में तो बाबा, आपको केरल से कुछ आगे बढ़ना चाहिये था। आप यहाँ की पंचायतों को क्या देने लगे हैं। ५० परसेंट से ऊपर यानी ६० या ७० परसेंट तो दें। चाहिये तो यह था कि आप एक म डल बिल बनाते। अगर वह नहीं कर सके तो केरल की नकल तो कर सकते थे। केरल ने जो पावर्स दी हैं उन को मैंने देखा है। मैंने केरल के देहात देखे, १७ दिन वहाँ घूम कर आया हूँ। मैं अपने देहात को भी जानता हूँ। आप्र के देहात थोड़ा थोड़ा हमारे नजदीक आते हैं। वहाँ के लोगों को आप १०० फी मदी इजाजत दीजिये और उसका नतीजा थोड़े दिन देखिये। मेरी अर्थ यह है कि न सिर्फ क्रिमिनल पावर्स ही दी जायें बल्कि फाइनेन्स भी दीजिये। देहातों से

[श्री प्र० सि० दीक्षित]

जो टेक्स वसूल किये जाते हैं वह भी पंचायतों को दीजिये फिर उसका नतीजा देखिये। जिस हद्द तक यह बिल जाता है, उस हद्द तक मैं इसे अच्छा समझता हूँ लेकिन यह बहुत दूर जाता ही ही। मेरी दरखास्त है कि एक बिल्कुल नया बिल मंत्री महोदय इस के बारे में लाये जो कि नमूना हो मागी स्टेट्स की सरकार को दिखाने के लिये कि यू० पी०, मध्य प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा वानो तुम नकन करो, यह दिल्ली का कानून है जो कि देहातों को ज्यादा से ज्यादा पावर देता है और उसके लिये यह जरूरी है कि ए - नया कानून वहा पर लाया जाय जिस की ठीक तौर से नकन हो सके।

इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय - क्या पंडित ठाकुर दास भागवं भी बोलना चाहते हैं ?

Pandit Thakur Das Bhargava: I wanted to speak; but I would like to be permitted to speak sitting.

Mr. Deputy-Speaker: Yes, but not for more than ten minutes.

उपर भी एक पंचायत चल रही है। उनका आधा पटा ना हा गया लेकिन उनका निम्नर अभी भी जारी है।

Shri D. C. Sharma: I will stop them Sir

Mr. Deputy-Speaker: This should not be taken lightly—that any request coming from the Chair should go unheeded. I would request hon. Members—if talk they must—to move to the lobbies.

पंडित ठाकुर दाम भागवं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका बड़ा मस्कूर हू कि आप ने मुझे १० मिनट का मौका दिया इस बिल पर बोलने के लिये। दरअसल मैं आप की और दूसरे अपने दोस्तों की जो हिदायत है उम पर

बुद धमल करता लेकिन यह बिल इतना महम है कि मैं अपने आप को रोक न सका और सड़ा हो गया यह दिखाने के लिये कि मैं भी बोलना चाहता हूँ।

मुझे खुशी है कि मैं ने, पेश्वर इस के कि मैं इस पर बोलूँ, चन्द दीगर मेम्बरो को राय भी सुन ली। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जो खयालात हैं उन को कई दूसरे दोस्तो ने भी बड़ी अच्छी तरह जाहिर किये हैं और मैं उन को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन का ट्रिब्यून पे करता हूँ। मैं ने जब इस बिल को देखा तो उम मे "दिल्ली पंचायत बिल" नहीं था, उम मे "दिल्ली पंचायत राज बिल" था, जिस के माने यह है कि दरअसल गवर्नमेन्ट का मशा यह है, जैसा कि हम ने कांस्टिट्यूट न मे लिखा था, कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी पंचायतें हो जैसे की पुगनी पंचायतें थी, जिा की पजह मे यहा पर रामराज्य कहा जाता था। हम मगल राज्य, अंग्रेजी राज्य या किमी हिन्दू राजा के राज्य की पंचायते नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसी रिपब्लिकम बनें जो ग्रेन्ड गार्निशण्ट हो बहुत मी चीजो मे और लोकल ग्रेन्ड गवर्नमेन्ट की यनिट है। और जब मैं ने अपने दोस्त मि० दीनना को मुना और चौधरी रणवीर सिंह को सुना तो मुझे मालूम हुआ कि एक चीज के अन्दर मैं उन से बेहद मुत्तारिक हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस बिल का मकसद यह समझा जाना है कि हम रे देश में स्वराज्य की पंचायते बनेगी, जैसा कि कांस्टीट्यूशन मे दर्ज है और जिम को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कापेस पार्टी में रोज कहा करते हैं कि हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर अच्छी पंचायतें हों और जो गांध

वाले हैं उन को अपने ऊपर राज्य करने का मौका दिया जाय, जो एक गाव के लोग हैं वह वह ही अपने ऊपर राज्य करें, तो मुझे कोई शुबहा नहीं है कि वह बिल उस मकसद को पूरा नहीं करता। अगर इस बिल का मकसद यह है कि आज जैसी पचायतें हैं उन को वै ही चलने दिया जाय तो यह कहना दुस्त हो सकता है कि इस को ५ या १० मिनट में पस कर दिया जाय, लेकिन अगर हमारे मि० दौलता या चौ० रणवीर सिंह, हमारे दूसरे भाई और कांग्रेस गवर्नमेंट यह चाहती है कि हर एक गाव में पचायतें दान हो और उन को जल्दी मुआमला में लाना हक देने का नया सिलसिला जारी हो तो यह बिल उस डिमान्ड को पूरा नहीं करता। अगर इस का मारे देश के लिये एक माडल बनाना है तो इस के अन्दर बड़ी सख्त कमिया है। अभी मेरे भाई ने डिप्टी स्पिकर साहब, आप के स्वरूप और इस सदन के स्वरूप जिक्र किया कि किस तरह की पचायतें वह चाहते हैं। वह चीज इस बिल में पूरी नहीं हो सकती। मुझे याद है कि मन् १९७६ में एक इमी किस्म का बिल इस सदन के अन्दर आया जो डा० गौड ने पेश किया था। उस वक्त मुझे मीक मिला कि मारे देश के अन्दर उस वक्त जितनी पचायतें मौजूद थी उन के कांस्टिट्यूशन को देख। मुझे पता के बारे में मालूम है कि पञ्जाब में पचायतें कैसे काम करती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई भी शम्स इस हाउस में उस तरीके से मतमदन नहीं है जिस तरीके से हमारी पचायतें हिन्दुस्तान में राज करती हैं। आज हिन्दुस्तान में एक लाख से भी ज्यादा पचायतें हैं, लेकिन वह पचायतें वह माहौल पैदा नहीं कर सकती जो हम चाहते हैं कि देश के अन्दर हर जगह पैदा हो।

जब हमारा कांस्टिट्यूशन बन रहा था तो मैं ने एक अमेडमेंट रक्खा था और वह यह था कि जब तक गाव वालों की हालत इस कदर नहीं तब्दील कर दी जाती कि वह सब अर्माटीज जो शहर वालों को हामिल है। वह गावों के अन्दर पहुँच जायें उस वक्त तक देश का जो भी रूपया खर्च होता है वह निकर गाव वालों के फायदे के लिये ही खर्च किया जायें। वह अमेडमेंट मजूर नहीं हुआ। उस वक्त चौधरी रणवीर सिंह ने भी मुझे सपोर्ट किया था। मैं आज भी कहता हूँ कि चकि आप मही मानो से पचायत राज लाना चाहते हैं और जो फायदे आज शहर के रहने वाले उठा रहे हैं वह गाव वालों को नहीं पहुँच रहे हैं इसलिए उन को मारे फायदे देने के लिये यह ही माकल तरीका हो सकता है कि आप गाव के अन्दर ज्यादा से ज्यादा रूपया खर्च करें। जब तक यह चीज आप नहीं मानते, जब तक आप गाव वालों को फाइनेल पावर नहीं देने जब तक आप उन को टैक्सेज की आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं देते, उन वक्त तक यह मामला हल नहीं होगा। जिस वक्त यह पर दो मार फड़ ही कमेटी बनी उस वक्त मैं ने एक नोट आर डिमेण्ड लिखा था जिग म लिखा गया था कि अगर आप चाहते हैं कि गावा ऊपर इस की ज्यादा रिस्पॉर्बिलिटी लाता उस का एक ही तरीका है कि आप जिनना ज्यादा से ज्यादा मपरा हर एक पचायत का दे सकें। बिना इमो पचायत का राज्य नहीं हो सकता। और नॉन्फ गवर्नमेंट (Government) के मसद पूरे हो सकने हैं।

मेरे एक दोस्त ने बड़ जोर शान से एक बात कही और मैं उस को बड़े जोर से सपोर्ट

[पंडित ठाकुर दास भाग-]

करता हूँ कि अगर आप सही मानो मे पचायत राज कायम करना चाहते हैं तो जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं, समेत कांग्रेस, के, उन के पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को आप गांव के अन्दर न जाने दें। अगर आप चाहते हैं कि देश के अन्दर कोअरेटिव फार्मिंग हो तो वह उसी वक्त मुमकिन है जब कि देश अन्दर आपस में लोगो का कोअपरेशन हो, मोहम्बत हो। जिस चीज का हम स्वप्न देखते हैं वह इसी तरह से मुमकिन हो सकती है। एक जमाना था कि गांव की हर एक औरत को जो गांव मे रहती थी लोग अपना रिश्तेदार समझते थे। आज भी अगर आप गांव मे जायें तो देखेंगे कि बड़े-बड़े जमींदार भाई भी जब किसी किसी दुमरी जगह पर जाने हैं और वहा पर गांव की कोई लडकी होती है तो उस को रुपया दे कर आते हैं। आज भी गांवो के अन्दर औरतो की इतनी इज्जत है कि कोई भी बूढ़ी औरत गांव भर की चाची होती है। हर एक बूजुग औरत को लोग अपना रिश्तेदार मानते हैं भल ही वह किसी जात की हो और चाहे जितनी गरीब हो, चाहे वह मेहतरानी हो, जाटनी हो चमारनी हो, कोई भी हो। अभी यहा पर पार्टीबाजी पर एनराज किया गया है। पर्सनल पार्टीबाजी की बात नहीं गई है लेकिन बजाये उस के आज पोलिटिकल पार्टी-बाजी ज्यादा फोकस पंदा कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि देश के गावा के अन्दर लोग आराम से रहे तो मैं कह सकता हू कि वह बिल इस तरह का नहीं बनाया गया है कि पचायत राज गांवो के अन्दर जा सके। इसका बिल्कुल मूल्तलिफ बनाना होगा। आज जो १ लाख २६ हजार पचायत देश के अन्दर हैं अगर उन को आप कवर्ट करना चाहते हैं इस बिल से तो यह बिल उस नमून का नहीं है जिस पर हमारे गांव के लोग यकीन कर सके। आज मैं कह सकता हू कि देहात वालो को भी उतना ही हक है जितना कि शहर वालो को। लेकिन मुझे यह कहने

में रज होता है कि कुछ लोग हाउस में यह कहते हैं कि वहा पर देहात एक तरह से बने और शहर दूसरे तरह से बनें। पिछला जो जमाना था वह खत्म हो चुका जब कि जमींदार पार्टी या दूसरी पार्टी के लोग होते थे, पार्टी बॉसज पर कलामेज बने हुए थे। आज वह तमीज हम को हटानी पड़ेगी। आज देश के अन्दर एक-एक मिटिजेन जो यहा रहता है उसे एक जगह पर लाना होगा। हम अब यह तमीज नहीं चाहेंगे कि यह शहर वाला है और यह देहात वाला है। हम चाहेंगे कि हर एक जगह की, हर एक गांव की उतनी भनाई हो, उ ना ही आराम हो जो हमारे शहरो का है। इस को करने के वास्ते, मैं कहना हू इग बिल। अन्दर जरूरी चीजे नती हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि इग बिल को लाने में किसी की नियत खराब है या खराब नियत में यह बना है लेकिन कांग्रेस वाले जो चाहते हैं, पठिन नेहरू जो चाहते हैं हम में से हर एक जो चाहता है बिल में जो कायम वा भी नक्ते निगाह है वह यह है कि एमे शाल ब्रैकग्राउंड। अन्दर हर एक चाहता है कि हमारा देश ऊंचे में ऊंचे उठे। लेकिन जिन चीजो में कौम उठनी हैं और मजबूत होती हैं उन का जर्म भी इस में नहीं है। अगर आप सही मानो मे चाहते हैं कि पचायत राज बनें तो इस बिल को तब्दील करना होगा। देश के अन्दर जो जगह आज हम पटवारी की देखते हैं, उस को तब्दील करना होगा। मैं इस बिल में अन्दर इग चीज को नहीं देखता। अगर आप इस बिल में मे राज का लपज हटा दे तो मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन अगर आप राज का लपज रखते हैं तो मैं चाहुंगा कि इस के लिये सेलेक्ट कमेटी बने, उस में अन्दर श्री नेहरू बैठें, हमारे स्पीकर साहब मौजूद हो, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब का नाम तो शामिल है, उस के अन्दर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठें, कैबिनेट के बड़े से बड़े मिनिस्टर बैठें और एक मजबूत कमेटी बनाई जायें। जो आप करना चाहें

हैं अगर वही आप का मंशा है तो इस के लिये दूसरा बिल लाना चाहिये। आप इस बिल का नाम सिर्फ दिल्ली पंचायत अमेन्डमेंट बिल ही रखें और उसमें से लपज "राज" निकाल दीजिये तो फिर मुझे कोई शिकायत नहीं होगी और दिल्ली पंचायत भी उसी तरह चलेगी जैसे कि अगर और प्राविन्सिज में पंचायत चलती हैं। और मुंबई में भी जहां पंचायत चलती हैं वे अपने फरायज पूरे कर रही हैं। लेकिन अगर सही भावनों में पूछा जाय और जैसे कि कास्टीटयुशन के प्रिम्पलस में कहा गया है कि हमारे देश में पंचायत राज्य कायम हो और छोटी छोटी रिपब्लिक बनें और जो देश के अन्दर नमूना हो और जो हम इस देश में राम राज्य कायम होने की चर्चा सुनते थे, मुझे बड़े अर्थ के साथ कहना है कि वह मंशा तो हमसे पूरी होने वाली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके अन्दर कहा पर जिन्हें है कि यह भवेशियों की तरक्की होगी? और कहा इसमें हाउमिंग का जिन्हें है? या दूसरी इन्डस्ट्रीज बनाने व रोजगार मुहय्या करन का जिन्हें है। कैसे छोटी-छोटी पंचायतें दिल्ली के अन्दर यह नमाम काम कर सकेंगी? यह ठीक है कि दिल्ली के अन्दर बहुत सारे लोकल पब्लिक् लिये लोग रहने हैं लेकिन बहुत अधिक तादाद दिल्ली के देहातो में बसने वाले अनपठ और गरीब लोगों की है उसके साथ पूरा इम्फा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा यह डाउटफुल है। इसलिए मैं अदब के साथ अजं करना चाहता हूँ कि आप इस बिल को जो ४, ५ मिनिट में पास करना चाहते हैं तो बेशक उसे आप पास कर ले क्योंकि आपको इसका अम्बित्याग है और आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन जैसे मैंने पहले कहा यह दिल्ली पंचायत भी दूसरी पंचायतों की तरह आर्डिनेरी पंचायत होगी और इमीलिए मैंने कहा है कि इस बिल के नाम में से "राज" शब्द निकाल दिया जाये।

इस बिल के अन्दर एक प्राविजन है कि वकील इस के अन्दर दाखिल नहीं हैं। अब मेरे साथक दोस्त जो वकीलों के ऊपर

बेएतमादी जाहिर करना चाहते हैं और शायद दुस्त तीर पर जाहिर करने हों और मैं वकीलों को उनके द्वारा मुम्बालिफत को समझ सकता हूँ। अब मेरा ५० वर्ष से भी ज्यादा वकालत का तजुर्बा है और मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि वकीलों की वजह से अक्सर और न्याय मिलने में देर होती है और अपराधियों को उचित दंड नहीं मिल पाता है। अब इस के लिए वकील कोई डाइरेक्टरी जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन इसमें शक नहीं कि वे इसमें जाहिरा तीर पर इम्पूमेंटल जरूर हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि हम गांव और शहर दोनों के रहने वालों के लिए इम्फा चाहते हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वकीलों की वजह से इम्फा नहीं होता है। यहां पर सच्चे मानों में गमराज्य कायम करने के लिए आपको बहुत ही चीजें करनी होंगी और नवदीलिया लानी पड़ेगी। मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि यहां पर वकीलों का राज्य कायम हो जाय और मैं समझना हूँ कि कोई भी आदमी इसके हक में नहीं होगा कि इस तरीके की नोर्गलिस्टिक अपीनियन माने देश में फैंड अं गारे देन में नीगल राज्य हो जाय और जिससे कि बहुत से रूनावार छूट जाये और वे अपने जुर्म की भजा न पायें। श्री दीनता ने भी इस बारे में जिन्हें किया और उन्होंने बतलाया कि उनको ११ वर्ष का तजुर्बा है। मुझे वकालत का उनमें ४, ५ गुना अधिक तजुर्बा है और मैं इस बिना पर कह सकता हूँ कि कानूनी इम्फा रोजमर्रा के इम्फा से बहुत डिफ्रेट है। कोई भी नहीं चाहता कि सारे गांव को वकील लोग लूट लें। लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि आप पंचायतों को पावम दें। अब इसके लिए यह कहा जा सकता है कि छोटी-छोटी पंचायतों को पावम दिये जाने से उनके मिसयूज होने का खतरा बना रहता है तो उसके लिए मेरा कहना यह है कि आप उसके लिए प्रोकाशन लेते हुए यह करे कि पंचायत को आप बिन्दुल किसी भी किस्म की पाटांवाजी से अलहिदा रखें ताकि

[पाठन ठाहुर दास भागंब]]

बहु लगन और सच्चाई के साथ अपने फरायज को बखबी भ्रजाम दे। आपको यह याद रखना है कि बिल का असल मकसद सिर्फ इडिबिजुएल्स में इसाक करना ही नहीं है बल्कि पंचायत राज का सवाल यह है कि लोगो कि जिन्दगी खुदाहाल बने और प्यार और मोहब्बत के साथ सारा कामकाज चले, सारा मियार ही तबदील हो जाये। हर एक गाव पंचायत इस बात के लिए जिम्मेदार हो कि हर एक गाव वाने को जो कि उस गाव में रहता हो उसके खाने पीने का माकूल बढोबस्त हो, उसके रहने और तालीम आदि सभी चीजो को मुनासिब इतजाम हो। मेरा कहना है कि वह सारी चीजे इसमें नहीं है।

अगर आप इसे मालड बिल बनाना चाहते हैं तो इसे भी ज्यादा मजबूत मेलेक्ट कमेटी बनाइये लेकिन अगर आप इसे इन्फो शकल में पास करना चाहते हैं तो आप कर दीजिये आपको इसका अर्थनियार है लेकिन इसमें जो "राज" का लफज रक्वा है उसके कोश मायने नहीं रह जाते हैं और जैसे और सुबो में पचायने चल रही है वैसे यह भी हमइम पचायतो की तरह चलेगी। लेकिन अगर आपका माडल बिल लाना है तो फिर एक दूसरा बिल लाइये। आप चार टमको ऐसे ही पास कर लीजिये या फिर इसके अन्दर जरूरी तर्मीम कर लीजिये ताकि यह देश के वास्ते माडल बने। अगर आपकी यह मशा है तो आप इस सेलेक्ट मेटो के मोशन को मजर करके हमारे दफ्तरीन दिमागो को इसमें शामिल कर लीजिये ताकि इसका जो मदद मदद है वह हम परा कर मने।

श्री मोहन स्वस्वय (पीलीभीत) उपाध्यक्ष
यहोदय, मैं बहुत मधकर हू कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। यह जो दिल्ली पंचायत राज अमेडमेंट बिल पेश किया गया है मैंने उसका मुतालाा किया। साथ ही साथ मैंने वेस्ट बंगाल,

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब वगैरह के जो पंचायत राज के ऐक्ट्स हैं उनको भी देखा और उनको देखने के बाद मुझे यह मालूम हुआ कि यह जो बिल हमारे सामने है यह बहुत पिछडा हुआ बिल है और दूसरे सुबो में जो तरकी पसन्द ऐक्ट्स हैं उनसे बहुत पीछे है और मुझे यह देखकर बड़ी निराशा और मायूसी हुई।

जहा तक देहातो का ताल्लु है हिन्दुस्तान में करीब-करीब ५ लाख गाव हैं और उनके जो रहने वाले लोग हैं वे हमे १ से पिछडे हुये हैं। म्युनिसिपैलिटीज को काफी फरोग हामिल हुआ। यहा पर म्युनिसिपैलिटीज बहुत असे से काम कर रही हैं और शहरो में काफी इवेनपमेट है लेकिन देहातो की और आज तक कोई तबज्जह नहीं दी गई। मैंने गावो की पिछली नवारीस का मुतालाा किया है और मैंने देखा कि एक जमाना एमा था जब कि हजारो बर्ये पहले गाव बिलकुल सैन्फ मफिशिएट थे और वहा पर खाने पीने के लिये सब कुछ मौजद था। लोगो के खाने पीने, रहने आदि के लिये मुनासिब इतजाम था। और आजक भी उस पुराने जमाने की उजडी हुई प्रथाए चली आ रही है जैसे कि देहात में जो काम करने वाले लोग हैं नार्द वगैरह, उनका काम के एवज में तनरवाह नहीं दी जाती है बल्कि अनाज की शकल में उनको उजरत दी जाती है। इस तरह से जो पुरानी शकले थी वे आज भी मौजद हैं। सामूहिक आधार पर देहात के रहने वाले तमाम काम करने वाले और कुल पैदावार का एक दमया हिस्सा राज्य कांफ में जाता था और बाकी गावों में रुच होता था। इसी वैसे जैसे कि हमारे बजंग पडित ठाकुर दास भागंब और दूसरे दोग्तो न भी फरमाया कि हमे पचायतो को एक मोडल शकल देनी चाहिये जो कि अभी नहीं दी गई है, मैं भी उनका समर्थन करता हू। बहुत सी चीजे जा कि वेस्ट बंगाल के और दूसरे सुबो की पंचायत एक्टो में है, वे इसमें नहीं हैं। अब मसलन सफिल पंचायत का इसमें तजकिरा है। सफिल

पंचायत जो बनायी गयी है वह गांव सभा के लोगों की बनाई गई है लेकिन उसमें यह नहीं दिया गया है कि गांव सभा के कितने आदमी जायेंग जिनसे कि वह सकिन पंचायत बनेगी।

इसके साथ ही साथ अदालती पंचायत का जो तरीका है वह भी गलत है। यू० पी० में गांव पंचायत व अदालत पंचायत का फॉर्मेशन अलग से है लेकिन यहाँ उसका सकिन पंचायत में मिला दिया गया है। वंस्ट बंगाल में जहाँ कि यह अचल पंचायत कहलाती है इसको बड़े हकूक दिये गये हैं और धान के स्तर पर वह बनती है और उसको तमाम इलाकों की देखभाल करने और कंट्रोल करने का अधिकार शामिल है। इसी तरीके में पंजाब में तहसील पंचायत बनी हुई है जो कि पंचायतों के काम को सुपरवाइज करती है, देखभाल करती है और उनको सहायता देती है। यह जो हमारी सकिन पंचायत बनी है यह तो महज एक नमूना सा बन कर ही रह गई है। बनाया गया है कि इसी में से कुछ लोग चुने जायेंग जो कि पंचायत चुनेंग और वह अदालती पंचायत का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अदालती पंचायत अलग से बनी चाहिए। सकिन पंचायत के हक और बढ़ाना चाहिये और उसको सुपरवाइजरी हक और ज्यादा मिलने चाहिये ताकि वह गलत पंचायतों और अदालती पंचायतों को दखे और उनको जरूरी सहायता देती रहे। उसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सकिन पंचायतों को प्रबोधन के हक दिये जायें ताकि जो पंचायत अदालतों में फँसे हों, उनको वह सुनवाई कर सके। जो अदालती फॉर्मल अपील के हो वे सकिन पंचायत के जरिये हो। और सकिन पंचायत १५-२० अदालती पंचायतों के काम को सुपरवाइज करे और जो उसकी स्वामियो दिखाई दें उनको पूरा करे।

प्रबोधन गांव पंचायत के लिये काम तो बहुत करने को बताया गया है। जैसे सड़क बनाना, पुलियां बनाना और अन्य दुनिया भर

की चीजें उसको करनी हैं लेकिन उसकी आमदनी क्या है इसकी तरफ भी तो ध्यान जाना चाहिये। आज उसको सिर्फ २ पैसे लगान के उपर मिलता है और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो म्यूनिक्लि में उसको ४००, ५०० रुपये इतने तरह मिलने हैं उन ४००, ५०० रुपये से क्या गांव में यह तमाम डेवलपमेंट के काम पूरे हो सकेंगे हैं। मेरा सुझाव है कि गांव पंचायतों को गांवों की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा मिलना चाहिये। उत्तर प्रदेश में अफसरान दौरे पर गांव पंचायतों में जाते हैं और वज्रा भ्रमदान की बात होती है। एक नमूना होता है। दो चार मजदूरों पर थोड़ी सी मिट्टी टान दी जाती है, उसके फोटो खिंचने हैं और अखबारों में छापे जाते हैं और वम फर्ज पूरा हो जाता है। लेकिन इस नमूने में काम नहीं चलेगा। हम सोशलिस्ट लोग चौबटा राज्य की चर्चा करते हैं, हम गांवों को सैल्फ सफोर्ट बनाना चाहते हैं, सब कामों, जल, बिजली, सड़क, सफोर्ट बनाना, वगैरह और मटर को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मून् की आमदनी का, चार स्तरों पर बांटा जायें गांवों के स्तर पर जिनो के स्तर पर सुबो के स्तर पर और मेटर के स्तर पर। तो मैं चाहूंगा कि यह प्रावधान इस बिल में हो कि गांव की आमदनी का चौथाई हिस्सा पंचायतों को मिले। अगर ऐसा हो नहीं तरक्की हो सकती है।

14 hrs.

साथ ही साथ जो कानून हम बनावे वह ऐसा हो कि हमें इडस्ट्रीज को डेवलपमेंट का भी लक्ष्य हो। क्योंकि गांव के तीन चार महीने ऐसे होंगे कि जिनमें गांव वाले बेकार होते हैं। उस वक्त लोगों को काम देने के लिये गांव सभा को यह हक मिलना चाहिये कि वह छोटे-छोटे कारखाने और इंडस्ट्रीज खोल सके। सच है कि जब तक हम अपने गांवों को सैल्फ सफोर्ट नहीं बनायेंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती।

इस बिल में और भी कुछ चीजों की कमी है। जैसे कि इस बिल में गांव पंचायत की

[श्री मोहन स्वर]

मिंटिस का तजकिरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानून में यह है कि हर महीने ए - मीटिंग हो। इस कानून में ऐसा कोई तजकिरा नहीं है। पंचो की संख्या के बारे में भी कोई तजकिरा नहीं है। यह भाषारिटीज पर छोड़ दिया गया है कि जितने चाहें रख लें। 50 पी० के कानून में है कि कम से कम 15 हो, पंजाब में नौ कि लिमिट है। लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है।

इस बिल में इलेक्शन मिंटिशन के बारे में भी कोई तजकिरा नहीं है। दूसरे ऐक्ट जो मैंने देखे हैं उनमें इसका तजकिरा है।

दूसरी चीज है ग्रामिणियल्स की। उत्तर प्रदेश में एक सेक्टेरी होता है जो कि पंचायत का कार्यकर्ता होता है और साथ ही माथ पट-बारी भी गांव समाज के काम को सुपरवाइज करता है। और जो रेवेन्यू वर्क्स है वह भी गांव पंचायत देखती है। उसके निये पटवारी काम करता है। और एम मेन्टरी भलाहिदा रहता है। इस बिल में वाजेट तौर से नहीं बनाया गया है कि कौन अफसर होगा और उसका क्या काम होगा। इसमें गांव समाज और गांव पंचायत की कोई परिभाषा नहीं की गयी है। रेवेन्यू का काम कैसे हो और दूसरे काम कैसे हो यह भी साफ तौर पर नहीं बताया गया है।

एक चीज मैंने पंजाब के ऐक्ट और वेस्ट बंगाल के ऐक्ट में देखी है कि वहाँ पंचायतो छोटे छोटे नोकरो का काम देखने का अधिकार दिया गया है, जैसे कि कौनाल के पनरोलो का। वह चीज भी इस बिल में नहीं है।

वेस्ट बंगाल के ऐक्ट में अचल पंचायत को पुलिस का काम देखने का भी हक है। वह भी यहाँ नहीं दिया गया है।

इसमें जुरमाने का अधिकार सिर्फ़ सौ रुपया रक्खा गया है। मैं समझता हूँ कि यह कम है। मुझ से कहा गया है कि दिल्ली के

घासपास के जो गांव हैं वे काफी रेवेन्यू हैं और उनमें पड़े लिये लोग रहने हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि सौ रुपये का जुरमाना कम है। उत्तर प्रदेश में पंचायतो को 500 तक का जुरमाना करने का अधिकार दे दिया गया है। मैं चाहूँगा कि इस कानून में भी जुरमाने का हक बढ़ाना चाहिये।

मैंने पंजाब और वेस्ट बंगाल के ऐक्टों में देखा है कि कुछ लोगो को छूट का अधिकार दिया गया है। जो लोग लेबर कर सकते हैं और गरीब हैं, उनको टैक्स से मुक्तसना कर दिया गया है। यहाँ ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है। जो कि होना चाहिये।

साथ ही साथ जैसा कि उत्तर प्रदेश में शिडयूल्ड कास्ट्स के निये प्रावीजन किया गया है कि जिन गांव की आबादी 500 हो उसमें एक शिडयूल्ड कास्ट वाले को सन् 60 तक के लिये रिजर्वेशन दिया जाये। लेकिन यहाँ यह नहीं है।

श्री नवल प्रभाकर है।

श्री मोहन स्वल्प शायद मैंने पढ़ा न हो। औरतो के निये भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। नो इसमें इस तरह की कमिया हैं। कुछ बातों की और वजाहन होनी चाहिये। और यह ऐक्ट ज्यादा जामा होना चाहिये था। जब तक यह कानून इस ढंग पर नहीं बनेगा तब तक गावा की तरक्की नहीं हो सकती। मैं तो समझता हूँ कि दिल्ली राज्य के लिये तो एक माडल ऐक्ट बनना चाहिये जिससे कि दूसरे राज्य उसकी नकल कर सकें और उसके मुताबिक अपने कानूनो में संशोधन कर सकें

मैं मिलेक्ट कमेटी का समर्थन करता हूँ। उस कमेटी के मामले इस पर अच्छी तरह से गौर होना चाहिये और दिल्ली के लिये एक नम्ने का कानून बनना चाहिये।

श्री च० ड० नायर (बाह्य दिल्ली) :
उपाध्यक्ष महोदय, इस पर काफी बहस

ही चुकी है और सदन के बहुत ज्यादा सदस्यों का यह खयाल है कि इस बिल को बहुत जल्द पास कर दिया जाये। मैं भी इसी खयाल का हूँ। लेकिन जमाना बहुत तेजी के साथ बदल रहा है और आज यह भाग है कि पंचायत राज बिल ऐसा बने कि जो सारे देश के लिये नमूना हो।

आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान का आईन सर्वोपरि बड़ा उत्तम है। उसके मुताबिक हमने हिन्दुस्तान में एक सोशलिस्टिक पार्निपामेंटरी डिमाक्रेसी कायम की है, और उसके साथ-साथ हमने पच साला योजनायें भी बनयी हैं, अपने इकानमिक प्रोग्राम को बढ़ाने के लिये। लेकिन हमारी इकामत और हमारे नेताओं का यह खयाल हुआ कि यह चीजे असल में कामयाब तब होगी जब कि गावों में पंचायतें कायम हों। इसी मकसद से प्लानिंग का एक बहुत हिस्सा कम्युनिस्टो डेवेलपमेंट का भी रखा है जो कि दो तीन साल के अन्दर हिन्दुस्तान भर में फैलने वाला है जिनके मातहत कोई पाच हजार कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स बनने वाले हैं। लेकिन इन कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स के लोग, कामकर उनके चयनमें बगैरह आर्गनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि ये सब काम केवल आर्गनाइजेशन के हाथ में ही नहीं हों। और हम यह भी चाहते हैं कि तमाम ब्लाक्स का काम पंचायत समितियों के मातहत हो। एक-एक ब्लाक के अन्दर एक-एक गाव के सरपचों की एक पंचायत समिति हो जो मिल कर ब्लाक डेवेलपमेंट के तमाम काम में सहयोग दें और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें।

श्री रघुवीर सहाय जी ने जो सिलेक्ट कमेटी का मोशन पेश किया था उसका मैं तर्हीदिल से समर्थन करता हूँ और मैं होम मिनिस्टर साहब से यह वरस्ता कस्मा कि यह इस को स्वीकार करें। इस वक्त

आसकर जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। हमने इसी साल रबी केम्पन का काम भी शुरू किया है सारे हिन्दुस्तान में, लेकिन ब्लाक अफसरों को कोई मदद देने वाला नहीं है। असली मदद तो उन लोगों को पंचायतों से मिल सकती है। इसलिये पंचायत को पूरा अधिकार मिलना चाहिये। अगर हमारी जम्कूरियत को कामयाब होना है तो हमें काम का विकेन्द्रिकरण करना होगा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आदर्श था। जब तक हम डिसेंट्रलाइजेशन करके गाव वालों के हाथ में पूरा अधिकार नहीं देंगे तब तक हम इस काम में कामयाब नहीं हो सकेंगे, चाहे वह प्लानिंग हो, या कम्युनिटी डेवेलपमेंट हो, या कोऑपरेटिव का काम हो, या तानीम का काम हो। हम चाहते हैं कि पंचायत गाव के सर्वोपरि सस्था के हो। वही तानीम का इन्तिजाम करे, वही अफाई का इन्तिजाम करे, वही स्कूलों का भी इन्तिजाम करे। हमें इन सब चीजों का अधिकार पंचायत को देना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बिल में उस सब की गुंज इश नहीं है। हमारे में मैंने चन्द जिम्मेदार आदमियों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि इस बिल को अब बहुत जल्दी पास होने दो और बाद में नया कानून लाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इस में देर क्यों करें। जैसा कि श्री ठाकुर दास भार्गव ने भी कहा है, पंचायत राज का सबजेक्ट बहुत बड़ा और मोस्ट इम्पार्टेंट है। इस लिये अगर कमेटी में प्रधान मंत्री न हो, तो कम से कम होम मिनिस्टर तो हैं ही और उन के साथ ही डेवेलपमेंट के मिनिस्टर भी होने चाहिये, क्योंकि उनके विभाग में ब्लाक्स के काम को अच्छी तरह से चलाने के बहुत सुन्दर विचार हैं और योजनायें हैं। यह पर बैठकर हम हर न सुधार, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवेलपमेंट और प्लानिंग बगैरह के बारे में बहुत से कानून बन सकते

[श्री च० क० नायर]

हैं—और हम बहुत से कानून बना भी चुके हैं—लेकिन उनमें दी गई बातों को गावों के घर-घर में कौन पहुंचा सकता है? न तो हमारे मिनिस्टर ही पहुंचा सकते हैं और न ही प्रदेशों के मिनिस्टर और लैजिस्लेचर पहुंचा सकते हैं। उनको पंचायतों के मेम्बर ही पहुंचा सकते हैं। इस लिये यह जरूरी है कि हर एक गाव में पंचायत कायम हो। उसी तरह हर एक गाव में को-ऑपरेटिव सोसायटी हो। उस की मारफत हमारी एग्रीकल्चरल प्राडक्शन बढ़ सकती है। गावों में जितनी भी एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट हो सकती है—चाहे वह मवेशी पालन हो मछली पालन हो मुर्गी पालन हो या हेल्थ, एजुकेशन, वर्गरेह के काम ह—ह सब काम को हम को-ऑपरेटिव की मारफत करा सकते हैं, लेकिन उस को कंट्रोल करने के लिये पंचायत होनी चाहिये। पंचायतें गाव गाव में हो और एक ब्लाक में जितनी भी पंचायतें हो, उन सब के सरपंचों की एक पंचायत समिति बनाई जाय, जा कि ब्लाक का पूरी तरह को-ऑपरेशन देनी रहे ताकि हम गावों के संकड़ों किस्म के सवाल हल कर सकें। हम तो कानून बना रहे और कानून बना कर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आफिसर्स शासन चलाने हैं और उन की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। अदालतें न्याय करती हैं और उस के माध्यम ही उन की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे ब्लाक डेवेलपमेंट आफिसर और हमारी पंचायतें इन तमाम कामों का समन्वय करती हैं—वे कानून बनाने वाले भी हैं, उसको चलाने वाले भी हैं और न्याय करने वाले भी हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पंचायतों को बढ़ाने का तत्सम्बर बड़ा सुन्दर, गम्भीर और गहरा है। मैं इस बात के हक में हूँ कि दिल्ली में बहुत जल्दी पंचायतें कायम की जायें, लेकिन हम को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम कितना बड़ा कदम

उठा रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान की भलाई और हिन्दुस्तान के धार्मिक और हमारी नॉलिव बार्नेट के प्रायशों की पूर्ति इन पंचायतों की मारफत होने वाली है। इसी लिये पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की माग की जाती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेल गाड़िया और बसें जो इतना सामान लेकर आती जाती हैं इन्हीं तैट्टी भी चल रही हैं, यह सब कैसे सम्भव हो सकता है? हम यहां पर बजट पर बहुत करत हैं। उन सब का प्राधार गाव के डेवेलपमेंट और गाव की पैदावार पर है। गावों के लाखों करोड़ों लोगों के पसोने से हमारे देश की दौलत पैदा होती है। उसके लिये हम ने पांच-साला प्लान को पूरा कर सकेगे और न कम्प्यूनिटी डेवेलपमेंट की पूर्ति कर सकेंगे। इस बिल से मेरा बिरोध-भाव नहीं है। हमारा मकसद यह है कि हम एक ऐसा पंचायत राज कानून बनायें, जो कि बहुत सुन्दर और पूर्ण हो, जो कि सारे हिन्दुस्तान के लिये एक नमूना हो। इसी लिये मैं कह रहा था कि इस मीके से फायदा उठा कर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये जिम में हमारे बजोर और इस विषय में दलचस्पी रखने वाले दूसरे साहबान भी हो और उन सब के मनाह-मददगार में इस बिल को तैयार किया जाय। आज सारा हिन्दुस्तान इस के लिये तरस रहा है। शायद दो तीन साल में सारे हिन्दुस्तान में ब्लाक फैलने वाले हैं। उन में पंचायतों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट के कानूनों का घर घर में पहुंचाने का काम पंचायतों का है। अगर हम तमाम जिम्मेदारी पंचायतों का दे दे, तो जो काम दस बीस साल में होता है, वह हम पांच साल में कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं श्री रघुवीर सहाय के मोशन का तहे-दिल से स्वागत करता हूँ।

धीर सपोर्ट करता हू और मैं होम मिनिस्टर सहज से अपनी कसबा कि वह इस को मान लें, ताकि हम इस काम में तेजी के साथ आगे बढ़ सकें।

Shri P. R. Patel (Mehsana) We all know that our *gram panchayats* are the roots of our democracy. Our democracy would not be successful if the spirit of democracy is not there in our panchayats. So, our Delhi Panchayat Raj Bill should be an ideal one, which should be followed by the other States. Is this Bill of that type?

So far as the village raj is concerned, it is not sufficient to call it 'raj' or 'samraj'. Revenue is the first thing. So, the question is whether we give sufficient revenues to the panchayats. We allow them to tax the agriculturists more, the agriculturists are taxed from all sides—by the Union Government, the State Government, the municipal corporations, etc. Now we allow them to be a prey also to the *gram panchayats*. That is not the proper thing to do. Whatever be the revenues of the village, the whole of it should be given over to the panchayat so that they can do constructive work and become ideal service panchayats to the community.

I would only refer to one or two clauses and try to show that even though we talk of democracy, we are afraid of democracy and we do not implement the spirit of democracy. I would refer to clause 28 where the power of supersession is given to the Commissioner. There will be no other authority which can decide whether panchayats should be superseded or not. Let the Commissioner or the Collector approach the District Judge and get an order that the panchayat has wilfully failed to do a certain thing and so it should be superseded. After all, in a democracy, the power should vest in the judiciary and not in the executive.

Clause 13 amends section 49 of the principal Act, which deals with removal or dismissal of a member of a

panchayat. A member can be dismissed if "he is in the opinion of the prescribed authority guilty of misconduct in the discharge of his duties". So, the words are "in the opinion of the prescribed authority". So, he is a dictator so far as the dismissal of the member is concerned. Why should that authority be given to a single man? Why should that man not be asked to go to the judiciary and get the verdict of the judiciary that the man requires to be dismissed for misconduct in the discharge of his duties? I know certain cases where members are dismissed on grounds which are only imaginary, most of them are political grounds. If we want to work our democracy, if we want the democracy to survive, the executive should not assume more authority but should give more authority to the judiciary so that nobody can complain or say anything against it.

There is one more thing in section 49. Clause (1)(e) reads "in the opinion of the prescribed authority undesirable in the public interest to continue in office". Whether it is undesirable in the public interest to continue in office would be decided by the executive authority. Is it desirable to keep this power in the Panchayat Raj Act? You call it Raj and you are giving authority to somebody who can dismiss the rulers of this raj. After all, the panchayat members are the rulers and yet they can be dismissed at discretion without any hesitation. How can you call it Panchayat Raj? If all the functions of the panchayat are performed by the panchayat then only can you call it Panchayat Raj?

So, I would submit very humbly to the Minister that he should agree to refer this Bill to the Select Committee. Is it not proper to refer the Bill to the Select Committee which will come out with some better interpretation and better writings and so on? I hope the Minister will not hesitate to admit that collective wisdom is much better than the individual wisdom of a

[Shri P. R. Patil]

the executive. So the Select Committee would be the proper authority to advise Government in the matter

Then I want to refer to certain things about the panchayat adalat I am happy that some powers are being given to the panchayat adalat I think the village people will dispense justice better than some courts Whereas legal justice is done by the courts, it will be natural justice in the case of the panchayat adalat There may be chances of injustice in the village adalat but they are very rare

Section 53J says that conviction done by the Panchayat adalat shall not be deemed to be a previous conviction That is nice and good But, after all, it is a conviction, whether it may be a previous conviction or may not be a previous conviction, whether it may be used against him in future or not Now the power of revision is given to the additional district magistrate I want to know from the hon Minister why our executive is rather afraid of the judiciary? Our executive often takes away power from the judiciary in favour of the executive Have we distrust in our judiciary? Or is it that whatever decisions are given by the judiciary are not palatable to us? What is the reason? After all, this is a judicial matter If at all there is a revision, it should be in a judicial court, and the proper authority would be the court of sessions and not an additional district magistrate I know many cases—and I hope the hon Minister must also be knowing them—where additional district magistrates take decisions on political grounds rather than on individual judgments If we want our democracy to work well, it is not desirable to give more authority to the executive

Lastly, I would refer to some lines which appeared in *Times of India* of 9th February, 1959 These are views expressed by some prominent persons at the discussion on a Sympos-

ium on Democracy and Law. I would read only a line which says:

"If the executive was allowed to encroach upon the powers of the legislature and of the judiciary, Mr Ayyangar warned, it would provide a fertile ground for dictatorship"

This was his fear, he said, even so far as India was concerned I ask the hon Minister do we want to take our country to dictatorship?

Shri D. C. Sharma: I am afraid, I cannot welcome this Bill in any sense of the word, nor do I support the proposition put forward by my hon. friend, Shri Raghuraj Sahas I do not think any Joint Committee is empowered to produce a model Bill A Joint Committee can only effect improvements in this Bill within the framework that has been given And I think that no amount of improvement can do any justice to the demands that have been put forward with regard to this Bill Therefore, I think that as an interim measure this Bill may be allowed to pass and within three or four months after the passing of this Bill

Shri P. R. Patel: When we have waited for so many years why not wait for some more months?

Shri D. C. Sharma: we can bring forward another Bill which would be a good and satisfactory model of a local self-government Bill at the village level for all States to follow. So far as I know, the Ministry of Health was entrusted with a work of this kind and I think even some questions have been asked about it. I do not know how far the Ministry of Health has progressed in this direction All the same, I think this Bill, if I am not considered to be very harsh, is a cruel joke practised on the rural population of Delhi My friend over there was afraid that similar Bills are there in other States.

I think those Bills will also answer the description that I have given

Of course, I will not be a party to a statement of the kind which was made by an hon Member over there. I do not think we should try to raise any kind of conflict between people who live in cities and people who live in villages. I think most of the persons who come here and talk about the villagers look like city-dwellers. They dress like city-dwellers. Their whole outlook on life is like that of city-dwellers. Let those persons have the hardihood to come forward and say

Mr. Deputy-Speaker: Here in this House all are hon Members.

Shri D. C. Sharma: My difficulty is that when I go to the Punjab University I have to address the members as 'fellows'. The word 'fellow' also has got a dignified meaning. But here there are hon Members who want to appear as guardians and custodians of the rural population without knowing that most of those persons whom they dub as urbanites are also village-dwellers.

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): Sir, this is objectionable. He says "posing and without knowing". That is very objectionable.

Mr. Deputy-Speaker: He says that he has certain difficulties because in universities he has to come across fellows.

Shri M. L. Dwivedi: This is not a university. We are speaking now in a different forum.

Shri D. C. Sharma: I know fully well what I am talking about. (Shri V. P. Nayar Question) I know the kind of words that I am using. It is no use wasting my time with these interruptions.

Shri M. L. Dwivedi: Is that any reason for casting aspersions upon Members that we pose ..

Shri D. C. Sharma: There is no aspersion on anybody.

Shri V. P. Nayar (Quilon): He is only posing a question.

Mr. Deputy-Speaker: He has said that he never meant any aspersion on anybody.

Shri D. C. Sharma: I was submitting very respectfully, Sir, to you, and through you to the Members of this House, that this Bill does not define adequately and completely the functions of gaon sabhas, the functions of gaon panchayats and the functions of circle panchayats. I think this Bill is very very vague. Even where it has been clear, I feel that the functions which have been given to these various bodies are very meagre, very inadequate and very niggardly. I would say, either we should give full-blooded self-government to these villages or not give any self-government at all. There is no half-way-house. You say that these people are being trained in local self-government. How long are these people to be in training? That is the question that I want to put. I think they have had sufficiently long number of years for being trained in the art of local self-government. After having given them those opportunities you do not give them any effective power to deal either with their local needs, with their developmental needs with their civic needs or other kinds of needs. I think therefore that this Bill suffers from not only a confusion of aims but also from inadequacy of powers that are given to the gaon sabhas and panchayats.

The circle panchayats are, I should say, a kind of hardship inflicted upon those villagers. I would submit very respectfully that cannot say that you will club together so many cities. Why don't you club together Delhi, Gurgaon and Sonapat which are very near to each other and say that there are certain needs of these cities which can be dealt with jointly? Now, the needs of one village are different from

[Shri D. C. Sharma]

the needs of another village. There are jealousies between one village and another. There are different communities inhabiting one village and different communities inhabiting another village. There is a majority of one community in one village and a majority of another community in another village. I do not want to talk in terms of communities; I only wanted to give a realistic picture of the existing circumstances. By bringing together these village under a circle panchayat what happens is this, you bring together elements in terms of population, community, interest in terms of needs, in such a way that they create an explosive situation. I have seen this kind of explosive situations obtaining in so many villages in the Punjab. Therefore, I say that the experiment of circle panchayats is an experiment which has proved to be a failure everywhere, and I do not want that the Delhi villages should be saddened with this kind of circle panchayats.

I want to submit, Sir, very respectfully, that the members of the panchayats here in Delhi and also in some other States are being treated like school children, who must always be under the supervising eye of a teacher or of somebody who can look after them. Take the case of patwaris. Take the case of other village officials. I would have said that these gram panchayats should have been taken away from the influences of those persons with whom they have sometimes to join issues. After all, the gram panchayats should not be mere rubber stamps of the executives in the villages or anywhere else. But I think that this is what has been done.

I would have very much appreciated if the Panchayati Adalats had been given more powers. I would have very much appreciated if the Panchayati Adalats had not been given those minor acts to play with. But I find that instead of this kind of experience in judiciary they are going to have

an experience in, what I might say, increasing their powers to foster contentiousness in the villages. I think that these powers ought not to be given only on the strength of the representative character of the panchayats. I think that they should be given on the basis of other merits also. I would have been very happy if these Panchayati Adalats had been constituted in a way which is better than this.

Sir, as was put forward by my hon. friend, Shri Raghuraj Sahai, we have lakhs of panchayats in this country, and he said that ten per cent of them were functioning properly and effectively. This is a very sorry state of affairs, and this stereotyped Bill with its stereotyped provisions is going to perpetuate that situation and it is not going to improve it or better it.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Mr Deputy-Speaker, Sir, it is a very interesting experiment which we are trying out, and on which there can be honestly more than one opinion. I desire to restrict myself to that aspect of the Bill which seeks to invest criminal jurisdiction in 'panchayati adalats.'

In the first place, it has to be appreciated that our experience of gram panchayats and other bodies has been far from satisfactory, and it is really doubtful whether the various clauses and sections of the Indian Penal Code in respect of which jurisdiction is sought to be vested should really be incorporated in the Bill. Probably, Sir, the House has not appreciated what are the sections and powers in respect of which criminal jurisdiction is proposed to be vested in the Panchayati Adalats. For instance, all offences such as negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life—under section 269—are also proposed to be given to the Adalats. Then, wearing garb or carrying token used by soldier, sailor or airman,—section 140—offences connected with it, are also proposed to be

handed over for trial to these Adalats. Offences connected with fouling water or public spring or reservoir, rash driving or riding on a public way, negligent conduct with respect to explosive substances, voluntarily causing hurt by dangerous weapons, mischief by injury to public works and bridges etc are also being proposed to be given over for trial to the Adalats. However, there is no doubt that some beginning will have to be made by giving certain powers to *panchayat adalats*, but to what extent can we go seems to be the crux of the problem.

The problem before any State is how to dispose of the numerous petty criminal cases promptly and cheaply without at the same time having instances of miscarriage of justice and abuse of magisterial powers. Therefore the choice is not whether we should give *panchayat adalats* any powers but to what extent the powers should be given. I am of the opinion that some beginning will have to be made, otherwise it is humanly impossible for any State to deal with the numerous small offences which occur in every remote corner of the villages and to provide adequate magisterial machinery for the disposal of those cases. I am therefore of the opinion that while certain criminal powers should be vested certain sections require to be deleted from the Bill for instance as I have just now said, cases of negligent act likely to spread infection of diseases dangerous to life. A very serious thing like that ought not to be left to the *panchayat adalats* who have power to inflict a fine of Rs 100 only. Fouling public water supply and reservoir is a very serious offence. Also, offences such as voluntarily causing hurt by dangerous firearms or daggers or such weapons are very serious offences and if these are incorporated in this Bill the result of it will be that graver offences will escape with smaller punishments.

Our experience is that these *panchayat adalats* or *gram panchayats* or whatever bodies that are there in the

villages are not sufficiently independent to exercise certain judicial or magisterial functions. I remember a case in which I was for one of the parties in a criminal court where the magistrate suggested that the case could be taken to the *jamat*. *Jamat* is a sort of *panchayat* or caste organisation in the villages. The man promptly replied "What is the *jamat*? If you give it a peg of liquor, it is your *jamat* and if I give it a peg of liquor, it is my *jamat*." That being the case, it is desirable that very serious criminal offences are not to be entrusted to the *panchayats*. The result will be that either there will escape punishment or will escape with light punishment.

It is true that in the Bill there has been a provision to the effect that if the *adalat* thinks that the offence cannot be adequately dealt with by it then it may be passed on to a regular court, but that is not enough, because pressure will be brought by influential persons when a serious offence is committed, for instance as in the case of voluntarily causing hurt by dangerous firearms or daggers. It is a very common occurrence in the villages. The party will try to bring pressure on the *adalat* and try and finish off the case with a small fine. Therefore my submission is that the real issue is not whether these *adalats* should be invested with powers. They will have to be invested with powers not merely because one would like to see our village *panchayats* literally and really becoming centres of *swaraj*, but because the force of circumstances will be such that certain powers will have to be delegated to them.

Sections like 352, 356 and 357 which deal with assaults, insults, petty criminal trespass, house trespass and offences like that, can be safely delegated to the *panchayat adalats* for trial. For the rest of them, I am of the opinion that these sections will have to be deleted.

There is another point which has to be borne in mind, it will be inevitable

[Shri Naushur Bharucha]

that section 447 of the Indian Penal Code should be one of the sections where offences could be tried by the *panchayati adalats* in villages. Questions of encroachment on fields and pre-occupy the attention practically of the entire village. There are usually two factions in the village. It has been our experience that the villagers by relationship or otherwise are so inter-connected that it is very difficult for people to administer independent justice. But even then some risk will have to be taken. In cases of bigger offences, I am definitely of the view that they must be clearly taken out of the purview of these *adalats*. Sections which are incorporated in the Bill carry with them punishment of three years rigorous imprisonment and yet we have not given the *adalats* power to inflict any sentence of imprisonment. Therefore, according to me these are not the sections which ought to have been incorporated in the Bill.

I therefore submit that while it may be desirable to make a beginning taking even the risk of miscarriage of justice, there are certain sections which should be kept completely out of the scope of the *panchayati adalats*. Therefore I support the amendment which was moved by my hon. friend, Shri Raghuraj Sahai, requesting that the Bill should be sent to the Select Committee.

Shri M. L. Dwivedi and Shri Fahadia rose—

Mr. Deputy-Speaker: I think I should now call the hon. Minister.

श्री ए. ए. साहू हिबेरी : मैं कवल दो मिनट चाहता हूँ।

श्री ए. ए. साहू हिबेरी (सवाई माधोपुर रजिन अनुसूचित जातियाँ) : एक मिनट ही चाहिये।

Shri Khadilkar (Ahmednagar):
Five minutes

Mr. Deputy-Speaker: Then I extend the time by a few minutes.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur):
rose—

Mr. Deputy-Speaker: Shri Jhunjhunwala has not desired any minutes.

Shri Jhunjhunwala: I shall also take three minutes.

Shri Khadilkar: Sir, within the time at my disposal, I will try to be very brief. In our exuberance to bring about a certain amount of social transformation and to see that power is not concentrated but decentralised at village centres, we are taking measures without giving due thought to them. When I read the title of the Bill, I was rather puzzled. There is a common word—a common coin—that we want to bring in *Ram Rajya Here*, we want to bring about *Panchayat Raj*. But after going through this measure—it is intended in fact if *panchayat* is to be the judicial authority—I think that the Congress is aiming in the final analysis to bring about *goonda raj*. Let us be very frank about it.

I would like to appeal to the hon. Home Minister—he comes from the city of Belgaum and as a lawyer he has long and eminent practice to his credit in that place—as he has come in close contact with the villages roundabout as I have come across in my place. What is the state of affairs in the villages? The villages today are feud-ridden. No village is absolutely free from feuds and the caste hold is still dominant. If you want to invest village *panchayat* with these powers in an area where they have never functioned even as administrative unit—excuse me for saying this—the hon. Home Minister ought to have thought it fit before investing them with addition powers, at least to allow them to function for a few years with other administrative functions, I mean social service functions like village sanitation, lighting, roads and other things. But they are in a hurry, as I said in the beginning, and they want to do this.

Another thing has happened because of the social transformation. Formerly, normally some pensioners used to go and reside in a village. There was an element of inter-change. Today that has not been the case because of the new land legislation. There is greater tendency to settle down even after retirement in the cities or round-about cities. It is a common experience and therefore village life today is disintegrating at every level. We have legislated in the States that there should be a common well. I go to my constituency for attending the Development Council meetings and the experience given by the administrative officer is that there is no common well. In every village there are almost two wells—one for *Haryans* and another for the caste Hindus. This is the state of affairs and in such conditions, I would like to know from the hon. Home Minister, how he shows this boldness to come before this House with this measure. I am really surprised.

I had an occasion to consult one senior ICS officer of the old regime, who was Chief Secretary of a State Government. When the question of handing over little Police powers to the Bombay Corporation was considered, I would like to point out this instance. He said that in the given circumstances, though Bombay City is very much advanced, he would not like that the Bombay Corporation should exercise powers of the Police even in a restricted way. Take this into account. When the advanced metropolitan cities are not in a position to exercise authority of a judicial or penal nature in a responsible way, am I to understand that the hon. Home Minister feels that roundabout Delhi the villages are so advanced that they can exercise judicial authority and deliver justice? Justice in the village is tainted with caste influences, local influences, and particularly with prohibition there is always another factor which has entered into village life which we cannot ignore, though they will never admit it, namely that

boot-legging and other country liquor industry is going on.

Therefore, my submission is this. I would have liked to support my hon. friend Shri Raghuraj Sahai who has devoted a lot of time to the study of village conditions, community development and village raj or whatever it is. This measure should be withdrawn, at least the amending part of it should be withdrawn. No village panchayat should be invested with judicial authority.

I shall point out one instance and finish. In Berar there have been *nyay panchayats* established. I know the history, but I would like to know from the hon. Minister how the *nyay panchayat* is functioning in Berar. Everybody feels almost terror-stricken if he is to get justice at their hands because words like *adalat* and *insaf* are used. I would like to say the people would feel that they would have to face a devil if they go for justice to a *nyay panchayat*. This is the position. And therefore *nyay panchayats* are today almost defunct.

Since time is too short with these few words I appeal to the Home Minister to withdraw the amending part of the Bill. Give them a trial as social service agencies let them gather experience and then you advance. Do not hasten too fast, hasten a bit slowly.

श्री म० ला० द्विवेदी उपाध्यक्ष
महोदय मुझे दो चार बातें कहनी हैं।
हम ग्रामीण जीवन का अनुभव किये बिना
यहाँ गावों के लिए कानून बनाते हैं। इस
कारण बड़ी बड़ी परेशानियाँ पैदा हो
जाती हैं।

उत्तर प्रदेश में न्याय पचायते हैं।
लेकिन हालत यह है कि गुंडा ऐलीमेंट
चुनाव में धा जाता है। वे लोग लाठी
के बल पर धा जाते हैं। धाग लगा देने
की बगकी स चुनाव जीत जाते हैं।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

श्रीर सरपंच बन जाते हैं। मैं आपके सामने एक गांव की पंचायत का हाल रखना चाहता हूँ। जरिया ग्राम की न्याय पंचायत में एक भ्रादमी के खिलाफ सरपंच ने फैसला दिया। उसके बल बालो ने सरपंच को उसकी कुर्सी से उठा लिया और उसके पैर एक रस्सी से बांधे और बेलगाड़ी में बांध कर उसे दौड़ाते हुए नदी के किनारे ले गये और सरपंच लुडकता हुआ चला गया, और नदी पर जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिये गये। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के किमी न्यायधीश की यह हालत हुई होती तो सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में तहलका मच जाता। लेकिन आपको इस घटना की खबर तक नहीं पहुंची। गांव पंचायतों के पास कोई पुलिस नहीं है, उन के पास किसी किस्म की सहायता नहीं है और जब वह न्याय करने बैठते हैं तो उनके पास न्याय का ज्ञान नहीं होता, वह क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड या पीनल कोड को नहीं जानते। जब तक कि आप उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते तब तक वह इस काम को कर सकेंगे इसमें शंका नहीं है। लेकिन यदि आप यह अधिकार देने ही हैं तो जब तक आप उनको किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो इस कानून में कोई फायदा नहीं होगा। जैसा मेरे मित्र ने कहा यह पंचायत राज्य न होकर गुंडा राज्य स्थापित हो जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उनके सिद्धान्त और आदर्श तो अच्छे हैं लेकिन उनको व्यावहारिक रूप देने में जिन चीजों की आवश्यकता है अगर वह उनको नहीं करते तो काम-याबी नहीं हो सकती। इन शब्दों के

साथ मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय इस पहलू पर भी विचार कर लें।

श्री महाश्विया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम दिल्ली पंचायत राज्य विधेयक के बारे में विचार कर रहे हैं। साथ ही दूसरा विचार यह भी है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं नहीं समझ पाता कि किस विचार का समर्थन करूँ।

जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं वह पूर्ण नहीं मालूम होता। दिल्ली में जो बात होती है उसका असर हिन्दुस्तान के सारे राज्यों पर पड़ता है। यहां पर हम जो पंचायत राज्य एक्ट बनायेंगे दूसरे राज्य उसकी नकल करेंगे। हम गांवों में पंचायतों को विकास का काम देने जा रहे हैं और न्याय की ओर बहुत सा काम देने जा रहे हैं। तो क्या यह उचित होगा कि जो विधेयक विकास के विचार क पहने बना था उसको यहां पास किया जाय। न ही यह उचित है कि इसका प्रवर समिति क सुपुर्द कर दिया जाय। क्योंकि इसे जा विकास का विचार है वह नहीं आ सकेगा। मैं नहीं जानता कि इसका वापस लेना का प्रावधान है या नहीं। पर मेरे विचार में तो इसे वापस ले लेना चाहिए और दूसरा आदर्श बिल लाना चाहिए, चाहे आप उसका कुछ भी नाम रखें, और वह सारे हिन्दुस्तान के लिए हो। यद्यपि सविधान के अनुसार इसको गृहमंत्री ही पेश करेंगे पर हाना तो यह चाहिए कि इसको विकास मंत्री पेश करें और उस विधेयक में पंचायत को न्याय का एग्जीक्यूटिव का और पुलिस का काम न दिया जाय क्योंकि अगर पंचायतों न्याय और शासन करेंगी तो विकास का काम जो हम उनको देने जा रहे हैं उसको नहीं कर सकेंगी,

उस हालत में वे सकार्ड, स्वास्थ्य आदि तरफकी के कामों पर ध्यान नहीं दे सकेंगी। मैं चाहता हूँ कि भाल इंडिया बेसिस पर यहाँ यह कानून बनना चाहिए। वह न केवल दिल्ली के लिए हों बल्कि सारे देश के लिए हों।

मेरे पास समय कम है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर कुछ और भी प्रकाश डाल सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो वक्त मुकर्रर किया है उसकी पाबन्दी होनी चाहिए। आप कुछ और कह लीजिये।

श्री पहाड़िया : चूँकि यह विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है, हमें यह विचार करना है कि जो धारार्ये हम मंशोधित करने जा रहे हैं वह कहा तक ठीक है :

अभी हैदराबाद में पट्टन चेरू जगह पर पालियामेंट के मेम्बरो ने एक कैम्प किया। उममें हमने विकास पचायत, कोआपरेटिव सोमाइटीज और शिक्षा पर भी विचार किया। जब हम वहा विचार कर रहे थे तो जब हम विकास पचायत पर जाते थे तो ऐसा लगता था कि अगर हमें कोआपरेटिव सोमाइटीज को मफल बनाना है तो पचायत की मदद लेनी होगी, अगर हमें गावों में स्कूल जारी करने हैं तो भी हमको पचायत की मदद लेनी पड़ेगी। अब पचायतों में अफसर नहीं होंगे। पंचायतों में गाव के चुने हुए नुमायन्दे होंगे और वही सारा शासन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिन पंचायत के मेम्बरो को हम गाव की सारी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिनको हम अपने स्थानीय विकास का काम, स्थानीय प्रशासन का काम और स्थानीय म्याय का दायित्व देने जा रहे हैं क्या उनके लिए हमने कोई काबलियत का स्तर भी रखा

है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जो कानून हम बनायेंगे वे किताब में ही रह जायेगा। क्योंकि उस कानून की मंशा वह मेम्बर नहीं समझ पायेंगे। अगर सम्भव हो सके तो इन मेम्बरों के लिए शिक्षा की कुछ क्वालीफिकेशन रखनी चाहिए जिससे कि उनको मालूम हो सके कि उनके लिए क्या कानून बनाया गया है और उनको क्या करना है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही है . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को ख म करना चाहिए।

श्री झुनझुनवाला : उपाध्यक्ष जी, यह एक रिवाज मा हो गया है कि हम सारा दोष गाव वानों पर डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम लोगों को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम लोग लीगलाइज्ड वे रे किन तरह से काम करें और कहा कहा करें।

मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। यदि मैं इस पर बोलना चाहूँ तो विकास आदि पर बोलने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पाच मिनट ले सकते हैं।

श्री झुनझुनवाला : पाच मिनट लूँ भी तो भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं कम ही समय लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर दो मिनट ही ले लीजिये।

श्री झुनझुनवाला : मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारे भाई पंडित ठाकुर दास जी ने कहा कि यह जो अभी पंचायतें बल रही हैं वह बलती रहें।

[श्री मनुमनवाला]

परन्तु यदि हम कोई भी प्रमेडमेंट लाकर ऐसा पंचायत राज बिल बनाना चाहते हैं जिसमें कि गांव वालों को अपने काम करने की स्वाधीनता मिले और वे काम कर सकें, तो इसके लिए यह एक बहुत बड़ा अच्छा मौका है। एक बिल हमारे सामने यहाँ दिल्ली में आया हुआ है और पार्लियामेंट को अधिकार है कि उस बिल को सागोपाग रूप से बनावे जो कि दूसरे राज्यों के लिए भी अनुकरणीय हो। हमारे भाई शर्मा जी जो कि बहुत कानूनी हैं कहते हैं कि यह तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है। परन्तु मैं ने इन को कहा कि यह स्टेट का काम है, यह बात तो ठीक है, परन्तु हम यह चाहते हैं, जैसा कि मेरे भाई श्री रघुवीर सहाय ने कहा है . . .

15 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय क्या उन्होंने आपको इजाजत दे दी है कि उनकी गय पार्लियामेंट में बता दी जाय ?

श्री मनुमनवाला उहोने कहा कि हमें तो बोलने के लिये समय नहीं मिलेगा, मेरी राय आप बता दें। किन्तु मैं उनका विरोध करता हूँ और मैं श्री रघुवीर महाय का अनुमोदन करता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि गांव वालों को वास्तव में लाभ हो, तो हमें अच्छी तरह से विचार करके पंचायत राज बिल बनाना चाहिये। यह नहीं करना चाहिये कि एक ही हफ्ते में डम काम का कर दिया जाय। अगले सेशन तक अच्छी तरह सोच-विचार करके इस प्रकार का बिल लाया जाय, ताकि गांव वालों को वास्तव में लाभ हो। श्री साडिलकर कहते हैं कि वे लोग गुप्ते, बदमाश और चोर होते हैं। उन्होंने सब तरह के एडजेक्टिव उनके लिये इस्तेमाल कर डाले हैं। हमें भी गावों में जाने

का मौका मिला है। मैं कह सकता हूँ—जैसा श्री भागवत ने भी कहा है—कि वे जो कुछ भी काम करते हैं, उसके लिये हमारी पोलिटिकल पार्टीज रेस्पॉसिबिल हैं। वे लोग आपस में लड़ते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यों में मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी पदों के लिये लड़ते हैं और उनमें मत-भेद चलते हैं और वे मत-भेद गावों तक पहुँच जाते हैं। जैसा कि श्री रघुवीर सहाय ने सुझाव दिया है और पंडित ठाकुर दास भागवत ने भी कहा है, इस प्रकार की पंचायतें बनाई जानी चाहिये, जो कि पोलिटिकल पार्टीज से एकदम अलग रहे और गवर्नमेंट के ऊपर के आफिशियलज में भी उनका कोई सम्बन्ध न रहे। इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके बिल लाने से गांव वालों को फायदा होने के बजाय नुकसान होने की अधिक सम्भावना है और जितनी बुगइया हम लोगों में हैं, वे सब बुराइया नीचे भी खूब जोर से जड़ पकड़ लेगी। उन पंचायतों को गावों की आर्थिक उन्नति की योजनायें बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये और दूसरी पावजें भी उनको दी जायें। यह ठीक है कि आरम्भ में वे लोग गलतियाँ करेंगे, लेकिन कुछ गलतियाँ करके ही सुधार होगा। अगर हम इस प्रकार का कोई बिल नहीं लायेंगे, तो जितनी बुगइया यहाँ पर हैं, वे सब गावों में भी प्रवेश करेगी और उन लोगों को बहुत नुकसान होगा।

श्री अजित सिंह (भाटण्डा—निर्वाहक अनुमति प्राप्त) जनाब सभापति जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी टाइम दिया है। श्री रघुवीर सहाय ने जो प्रमेडमेंट रखा है, उसको सपोर्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्व किया जायें। और खूब सोच विचार के बाद अगले सेशन तक इस बिल को लाया जायें।

श्री साहिलकर और श्री द्विवेदी ने पंचायतो की बहुत सी कमियों का जिक्र किया है और कई मिसालें भी दी हैं। पंचायत में भी इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि हम मारे हिन्दुस्तान में कहते आ रहे हैं कि हमने यहाँ पर पंचायत राज कायम करना है और हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाना है। इसलिये चाहे मक्खी ही क्यों न हो, हमको निगलनी ही पड़ेगी। इस सिलसिले में तजुर्बा करने के लिये यह पंचायत राज बिल लाया गया है। यह एक रोशन मीनार का काम देगा और जो तजुर्बा किया जा रहा है, उससे हम नतीजा निकालेंगे कि क्या सारे हिन्दुस्तान में पंचायत राज कायम करना जरूरी है या नहीं।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ प्रावजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया गया है कि पंचायत को सौ रुपया जुर्माना करने का हक होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि यह रकम बहुत ज्यादा है। सब जानते हैं कि गावों में गृहबन्दी होती है। कोई भी घर पॉलीटिकल आर्डाइया-लाजी से अलग नहीं है। हर एक आदमी किसी न किसी पॉलीटिकल पार्टीज में मिला जुला होता है। इसी तरह पंचायत भी पॉलीटिकल पार्टीज का गिकार है। अगर हम उनको सौ रुपया जुर्माना करने की इजाजत दें हैं, तो बड़ा बड़ा आपा-धापी होगी। वे चाहे जिसको जुर्माना करें रहेंगे। मैं यह पूछने की इजाजत चाहता हूँ कि क्या हमारे गावों में ऐसे लोग हैं, जो सौ रुपया देने की हिम्मत रखते हैं। आजकल के जमाने में इतनी महंगाई है, खाना खाने को नहीं मिलता है। शहर में भी ऐसे लोग कम होंगे, जो कि सौ रुपया जुर्माना दे सकते हो, तो फिर गावों में ऐसे आदमी कहा होंगे। अगर कोई जुर्माना रखना है, तो वह दस रुपये तक रख दिया जाये। उससे ज्यादा रखना ठीक नहीं है।

मैं इस सुझाव को भी मपोर्ट करता हूँ कि सरपंचों और मेम्बरों की कुछ न कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाये। अगर न रखी जायेगी, तो वे लोग आपा-धापी कर सकते हैं। उन लोगों में अक्ललाक बहुत कम है। इसलिये वे दूसरों पर कीचड़ उछालना और तरह तरह की नाजायज बातें करना जानते हैं। बड़ा शराब का भी इस्तेमाल होता है और नाजायज तौर पर बेगार भी ली जाती है। गावों में कास्टिज्म भी मौजूद है। जिस आदमी की मदद करनी होती है, उस से दस पन्द्रह दिन काम करा लिया जाता है। दूसरा आदमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, लेकिन उसके खिलाफ, तरह तरह की चर्चा की जाती है और उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाये जाते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि उन लोगों के लिये एजुकेशन का कोई स्टैंडर्ड हो।

पंचायतों में हरिजनो को पूरी नुमायदगी मिलनी चाहिये। आजकल हरिजनो को नुमायदगी नहीं दी जाती है। आध्र में एक बिल आ रहा है, जिसमें को-आप्शन रखी गई है। जहाँ कहीं भी इलेक्शन के जगिये हरिजनो को नुमायदगी न मिले, वहाँ को-आप्शन होना निहायत लाजिमी है।

हम में पंचायतों को बहुत ज्यादा पावरज देने की मोच रखी है। मेरे दिमाग में यह उनहन आती है कि अगर हम इन पंचायतों को बहुत ज्यादा पावरज दे देगे, तो फिर थाने और थानेदार किम लिए हैं। पंचायत वाले तो अपनी मरजी में किसी को निक्कामा और किसी को अच्छा ठहगतें हैं। अगर पंचायतों को इतनी पावरज देनी है, तो क्या पुलिस सेवा समिति बन कर रह जायेगी, या उस का भी कोई फंक्शन होगा ?

श्री धारब (बाराबकी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज जो पंचायत राज

[श्री यादव]

विधेयक प्रस्तुत है, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जहा तक सही मायने में पंचायत राज कायम करने का सम्बन्ध है, वह विधेयक अपूर्ण है। ६ तारीख को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक निर्देशन था कि अब सरकार गांव पंचायतों को अधिक से अधिक अस्तित्वयारात देगी और पंचायतों ही सही माने में नए जनतंत्र की स्थापना कर सकेगी और उनके द्वारा ही हमारा नियोजन का काम किया जायगा। परन्तु जब हम इस विधेयक को देखते हैं, तो पाते हैं कि जिस तरह के अपूर्ण कानून उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में हैं, उन की ही नकल यहा की जा रही है। इस विधेयक में और उत्तर प्रदेश के पंचायत राज कानून में कोई विशेष अन्तर नहीं है। यह जो विधेयक प्रस्तुत है, उस में केवल न्याय अदालतों की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। जहा तक पंचायत के दूसरे अंगों का प्रश्न है, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। १९५४ के पंचायत राज एक्ट में जब हम ग्रामराज के तत्व को खोजते हैं, तो हम उस में कुछ भी नहीं पाते हैं। बल्कि हम पाते हैं कि इस मागे विधेयक की अगर एक धुरी है, तो वह है 'प्रैक्टाइंड अथांग्टी'। प्रेमकादंबूड अथांग्टी कौन है? प्रेमकादंबूड अथांग्टी चीफ कमिशनर है कार्नेक्टर है और वे सब सरकारी नौकर हैं जाकि उनकें मानहन है गोया यह जो पंचायत राज एक्ट है, जो ग्राम सभायें हैं, ये जो न्याय अदालतें हैं में सब चीफ कमिशनर की धुरी पर धुमेगी और उमी के मानहन रहेगी। उनको कार्ड अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ग्राम स्वावलम्बी बने और सही मानों में बने तो हमको ग्राम सभाओं को और अधिकार देने होंगे और इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि ग्राम सभाओं के जो सदस्य चुने जायेंगे वे कैसे चुने जायेंगे, उनके चुनाव का क्या ढग होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां पर कुछ गलत लोग चुन कर चले जाते हैं और

एक तरह से गुंदा राज वहां कायम हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? पंचायत राज को हम दोष नहीं दे सकते हैं। जहां तक पंचायत राज कायम करने का प्रश्न है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि यह कायम होना चाहिये। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर उसको अच्छे ढग से नहीं किया जाएगा तो उसका नतीजा अच्छा निकलने की भांशा नहीं की जा सकती है और उसकी जो आत्मा है वह भर जाती है और दूसरे ढग की ही चीज हमारे सामने आती है। इस बास्ते सब में पहले में समझता हूँ हम को चुनाव की पद्धति की ओर ध्यान देना होगा। आज चुनाव किस तरह में होते हैं? चुनाव हाथ उठा कर होते हैं। गावों में ज्यादातर गरीब लोग और हरिजन लोग रहते हैं। हरिजनों के प्रतिनिधित्व की बात भी आज की जानी है। परन्तु यदि आज उसी तरह से पार्लियामेंट और असेम्बली के लिए चुनाव होने हैं और गुप्त ढग में होते हैं, उसी तरह में वहा भी हां तो काफी अच्छे नतीजे निकलने की आशा की जा सकती है। इस में शायद हरिजनों को विशेष स्थान देने की जरूरत भी महसूस न हो और न ही गलत ढग में लोग चुन कर आयें। इस में वही लोग चुन कर आने की आशा कर सकते हैं जो मार्क्सजिक सेवा में विश्वास करने हैं जन-सेवी हैं और जिन पर लोगों का विश्वास होगा और जिन के बारे में यह भी पना होगा कि ये ईमानदारी के साथ काम करंगे। उस तरीके में ऐसे ही लोग ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में चुन कर आ सकेंगे। परन्तु मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर न सरकार का और न ही अधिक माननीय सदस्यों का ध्यान गया है। इन लाइस पर इस बिल में तरमीम किया जाना, मेरे विचार में, श्रीमन् आवश्यक था।

जहा तक ग्राम पंचायतों का प्रश्न है अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जो वहा का दारोगा होता है उस पर पंचायत के

लोगों की जीवन रक्षा का दायित्व होता है ।
 आज मैं देख रहा हूँ कि जन-प्रतिनिधियों के बीच एक ओर और दूसरी ओर राज-कर्मचारियों के अधिकारों के लिए रस्सा कधी चल रही है । राज-कर्मचारी यह नहीं चाहते कि जन-प्रतिनिधियों के हाथ में अधिक अधिकार जायें, ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार मिलें । जहाँ-जहाँ भी ग्राम पंचायतें कायम होती हैं वहाँ उन वहाँ के प्रधान प्रवश्य होते हैं परन्तु न उनको कोई अधिकार दिये जाने हैं और न ही वे अपने को सुरक्षित अनुभव करते हैं । उनके प्राचीन बड़ा के छोटे-छोटे कर्मचारी भी नहीं होते हैं । ग्राम सभाओं से सम्बन्धित जो अधिकारी होते हैं वे चौकीदार, लेखपाल या पटवारी और पंचायत का मैजिस्ट्री होते हैं । इन तीनों अधिकारियों के ऊपर न ग्राम पंचायत का सामूहिक रूप से और न अकेले प्रधान का ही कोई अधिकार होता है । अगर ग्राम पंचायत या उसका प्रधान यह चाहे कि मैजिस्ट्री का ट्रामफर हो जाए तो यह भी नहीं होता है । उसकी शिकायत पर तबादला नहीं किया जा सकता है । अगर वह चाहे कि चौकीदार को हटा दे तो वह उसे भी नहीं हटा सकता है । इस मामले जब तक इन तीनों अधिकारियों को ग्राम सभा के मातहत नहीं किया जाना, जब तक ग्राम सभाओं को और कुछ अधिकार और अधिक आर्थिक सहायता सरकारों सहायता उन टैक्सों में से जो वहाँ पर एकत्र किये जाते हैं, नहीं दी जाती या उनका एक अच्छा खासा हिस्सा नहीं दिया जाता तब तक मैं ममज्ञता हूँ पंचायतों को कायम करने का कोई अर्थ नहीं है ।

यदि आप सही मानते हैं पंचायतों के हामी हैं, सही मानते हैं चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें अच्छी तरह में अपना काम करें और उन के जरिये देश की तरक्की हो, देश का निर्माण हो, तो उन्हें आपको और अधिक अधिकार देने होंगे । साथ ही साथ नियोजन जो आज आप ऊपर से चलाने हैं उसको नीचे ग्राम पंचायतों के जरिये आपको चलाना होगा ।

साथ ही साथ नौकरशाही के हाथों से अधिकारी को छीन कर के ग्राम पंचायतों को आपको देने होंगे ।

अब मैं धारा ४४ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा । इसके अन्तर्गत प्रेसकाइबड प्रायोगिटी की यह अधिकार दिया गया है कि धारा १०६ और ११० के अन्तर्गत दंडित व्यक्तियों को प्र म सभा के सदस्य बनने से रोक सके । उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं है एक दूसरी धारा के मुताबिक । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कानून के बहुत से विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री महोदय स्वयं प्रेसिडेंट भी कर चुके हैं और उनको भालूम होगा कि धारा १०६ और ११० जान्ता फौजदारी जो है वे किमी सब सर्वेटिव आफेंस के मातहत किमी को सजा नहीं दिला सकती हैं । ये केवल प्रास मिचौली की धारा १०६ और इनके बारे में मैं यह भी कह सकता हूँ कि ये मविधान के प्रतिकूल पडती हैं । आप जानते ही हैं कि इन धाराओं के मातहत जब पुलिस मोमबत्ती या दियासलाई या एक बीडी का बडल मजिस्ट्रेट को दिखा देने हैं तो अभियुक्त को एक साल की सजा सुना दी जाती है । इस तरह की प्रास मिचौली लागू के साथ नहीं हानी चाहिये । १०६ और ११० के अन्तर्गत सजा पाये हुए लोगों को उनके वोट के अधिकार में वचन करना या इनके सदस्य चुने जाने पर रोक लगाना ठीक नहीं है । इस पर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो यह टेडेमी चल रही है कि मरकारी अधिकारियों के हाथ और ज्यादा मजबूत किये जायें, इसको रोकना जाना चाहिये और ज्यादा में ज्यादा अधिकार पंचायतों को दिये जाने चाहिये ।

Shri Tangamani (Madurai): I rise to support the Motion for reference of

[Shri Tangamani]

the Bill to a Select Committee moved by Shri Raghubir Sahai. He has already dealt with the reasons why he wants such a reference to a Select Committee. I would like to say that the whole question of panchayats has been canvassed for the last three or four years. The Balwantrai Mehta Committee went into this matter in great detail and their recommendations are now before us. Already several State Governments have taken these recommendations seriously and certain pieces of legislation are already in the offing. I know that Kerala has taken definite steps. In Andhra Pradesh, a Bill has been introduced in the legislature and it is now before a Joint Committee.

I would like to mention—as many of the previous speakers have already mentioned—that there was a camp which was set up by the Community Development authorities in Andhra Pradesh in a place called Pattamcheru. In Pattamcheru, there is a Samiti which is more in the nature of a circle panchayat. They have been demanding the sort of things which have been canvassed in the Report of Shri Balwantrai Mehta Committee. They have been demanding that more powers should be given, indicating in what way the powers can be used.

When that is the position, my request is that this kind of patch-up legislation is not going to help us at all. I would point out two matters in which the very purpose and the object of the legislation itself is defeated. Here we have stated:

“At present, the Panchayati Adalats have no jurisdiction in respect of criminal cases. It is proposed to invest these Adalats with criminal jurisdiction in respect of certain minor offences under the Indian Penal Code....”.

Having said this, I find in clause 16—which seeks to amend sections 53A, 53B, 53C, 53D, 53E and 53F, 53G,

53H, 53I and 53J—of the original Act—under 53C:

“No Panchayati Adalat shall try any criminal case against a person where such person—

- (a) has been previously convicted of an offence punishable with imprisonment for a term of three years or more;
- (b) has been previously fined for theft by any Panchayati Adalat;
- (c) has been bound over to be of good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898;
- (d) has been previously convicted under the Public Gambling Act, 1867, or the Delhi Public Gambling Act, 1955....”.

Here certain minor offences are to be tried by these panchayat courts. Having given these powers, why do they go into the question whether he is a previous offender or not? These are all minor offences. Whatever may be the nature of the offence in the past, it is not a matter which has to be canvassed in these panchayat courts

The second point which I would like to mention, to which reference was made, relates to clause 28, which reads:

“After section 83 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

‘83A. The Chief Commissioner may, by order published in the Official Gazette, direct that any Panchayati Adalat shall not exercise all or any of the powers under this Act for such period as may be specified in the order and such Panchayati Adalat shall cease to exercise such powers for the period so specified’ ”.

In other words, not only is supervisory power given, but power is given to completely supersede these panchayat courts

These two things really defeat the very purpose and the objects for which this amendment has been brought forward That is why I request the hon Minister to take the opinion of the House and not rush through this legislation If it is referred to a Select Comm ttee, I am sure that the purpose of even the limited scope of this amendment, which seeks to give more powers to the panchayat courts in line with the powers which have been exercised in many panchayats today in many of the States, will be served Many useful suggestions could be given If this Bill is rushed through, I am afraid, the point which has been agitating the minds of the people, the whole question of panchayats and co-operatives will not be served Therefore, I once again request the hon Deputy Minister to be kind enough to accept the motion of Shri Raghuraj Sahai

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar) Mr Deputy-Speaker, Sir, we had an interesting debate Towards the end of it the tempo of debate naturally rose, when two hon friends one from this side Shri Dwivedi and another from the other side, Shri Khadilkar stated in an overdrawn manner that if there is Panchayat Raj, it is likely to be a *goonda raj*, provided judicial powers are given to them I had expected this criticism, and, I am prepared to answer not only those charges but also other points raised by a number of hon friends

In this connection before I proceed, I may point out that this Panchayat Raj Act was framed by the then Delhi Administration and was accepted by the then Delhi Legislature We had a Part C State in Delhi and they, after full consideration, came to the conclusion that there ought to be a Panchayat Raj Act This was in 1954

Secondly, by that time we had a number of States which had passed similar Acts and had brought them into force Take, for example, the case of the U P Legislature As early as 1947, immediately after the advent of independence, this question of self-government at the lowest rung of the ladder was taken up and an Act passed and implemented On the whole, even in respect of judicial or Nyaya or Adalat Panchayats, may I point out to my hon friends, the Act has worked well

Only the other day I had been in the State of Bihar Both at meetings with social workers as well as officers, I made pointed enquiry as to how the Panchayats in general and judicial panchayats in particular were working I was happy to hear both from the non-official and the official side that on the whole, the Panchayats have been working well

Shri Jhunjhunwala: Your information was wrong

Shri Datar: Two points should be noted in this connection One is that we have to develop the Panchayats as an institution There is no departure from it at all Let us understand it quite clearly, even though we have to take some risks May I point out to the hon Member

Shri Jhunjhunwala: What I said was your information was wrong

Shri Datar: What is the need of repeating what you have said? I have already heard it Kindly do not repeat it now (*Interruption*) When I have heard what he has said, there is no need for repetition

May I point out here that we have to take into consideration the first question that Panchayats have got to be developed We have a directive in the Constitution itself that Panchayats are the lowest limits of our self-rule and therefore they have to be developed

[Shri Datar]

Then, a number of State Governments considered the whole question, and I may also refer to a report that was submitted by a committee appointed by the All India Congress Committee. It was a committee presided over by Shriman Narayan, now a Member of the Planning Commission and consisted of a number of hon. Members who had administrative experience. We had Dr Kailash Nath Katju, Shri Jagivan Ram, Shri Gulzari Lal Nanda and Shri K. D. Malaviya. These friends went into the whole question, and, they stated that judicial panchayats ought to be started as early as possible. They traced the history of panchayats in India, and, they have found out that we had such panchayats including judicial panchayats long long ago down the whole history of India, except, naturally, during foreign domination.

My hon friend, Shri Daulta contended that during the foreign administration the villages were neglected. In a way, it is true, but in another sense, let us understand that the villages—or the village panchayats—as units did carry on their work, perhaps, in a more effective way than under foreign rule.

I might also point out, in this connection, to my hon friend Shri Khadilkar that in Bombay or Maharashtra, even before British administration, we had certain institutions according to which the village became a full and self-sufficient unit. They had different officers, different professions. And, I might quote to him the name of *Barah Balutedars*. In fact, the village was made absolutely self-sufficient so that even when there were invading armies which passed by the villages they paid certain indemnity to the villagers and the villages continued their peaceful life, and, to a large extent, a happy life as before.

Shri Khadilkar: May I point out that the organisation of *Barah Balute-*

dars was a conventional organisation? Does that exist now? That has disintegrated.

Shri Datar: If the hon Member had waited for only two minutes I would have replied him. We had a conventional organisation. There was administration by certain officers some of whom were even hereditary. These village administrations were in the hands of village people and they carried on their work far better than they did during British or foreign administrations.

What happened was this. Especially after the advent of British rule, there was an attempt—let us not say deliberate—to dissolve them and this great institution was more or less dissolved. Then, we came across disturbed conditions in which we lost vitality. When this question had to be taken up, the Constitution itself laid down in one of the Directive Principles that panchayats have to be developed.

Immediately after the advent of independence various State Governments took up this matter in right earnest, not only so far as the general panchayats are concerned but even with regard to *Nyaya* or *Adalat* panchayats. I may also tell the House that in UP the judicial panchayats have been on the whole working satisfactorily. I cannot exactly quote the figures—because I have not them before me—but, speaking subject to correction I may say that there were about 3 lakhs of cases disposed of by the judicial panchayats either by getting a compromise between the parties or by deciding on merits wherever it was necessary. In respect of this large volume of litigation—I use that word in a general sense—only about a thousand cases were there in which an application for revision has been preferred to a higher court.

Let us take these circumstances into account. Let us not be prejudiced by the fact that this experience is likely to be risky also. Therefore, it is that

the judicial panchayats have to be not only suffered but have to be duly established and proper powers given to them I was very happy to hear Shri Bharucha say that at some time or the other, we have to make an experiment of having the judicial panchayats He had some objections to certain clauses but on the whole I was happy to hear him say that he agrees

There are two schools of thought in this respect One school is led by very high people in life who have stated on a number of occasions that there should be no panchayat raj and that there should be no judicial panchayats at all Only a few days ago a Judge of the Madras High Court retired and he has stated that the panchayats should never be invested with judicial powers We have the opinion of other eminent persons also

On the other hand, there is another school which says that we have to take the matter in our hand and develop the panchayats in all respects so far as the developmental work and to a large extent *adalat* administration work is concerned Generally speaking, may I point out that the panchayats have to be developed? In respect of the *adalat* panchayats, we have also taken some safeguards

I am not going to blame Shri Khadilkar or Shri Dwivedy, and there may be some cases where the work of judicial administration at the village level may not have been satisfactory and might have perhaps led to certain untoward results We have to take the whole thing into account His very State the Bombay State has last year passed an Act known as the Bombay Village Panchayats Act, 1958 and I may invite the attention of Shri Khadilkar to section 75 thereof where larger powers than what we contemplate are given to the judicial panchayats are *nyaya* panchayats as they are called

An objection was raised that certain sections ought not to have been

included in the list of offences that could be tried by them. But we have taken certain safeguards

One safeguard is that these panchayats are at the circle panchayat level It is not at the lower level but at a fairly higher level that these judicial panchayats are established Under section 44 of the Delhi Panchayat Raj Act, there are some qualifications Further, the conditions of some degree of literacy had been laid down in sub-section (4) No person shall be elected or remain a *paneh* of the circle panchayat if he is unable to read and write Hindi or Urdu It has been specially laid down because after all at that level they will have to carry on some work where illiteracy would be a great handicap Certain other usual conditions have been laid down In Section 50, it is said that the *sarpanch* shall for the trial of every suit or proceedings form a bench of five persons from the panel of circle panchayats to constitute a panchayat *adalat* So the first safeguard is that you come across a higher level of persons, namely, those who should be members of the circle panchayat and who would be in a position to read the regional language, Hindi or Urdu.

Some sections of the Indian Penal Code have been included Sometimes the offences are a bit high sounding—for instance, explosions, etc But we have to understand that high sounding offences need not necessarily be committed in a very high sounding or grievous manner A theft may be of a lakh of rupees or it may be of a few rupees Even a fountain pen might be stolen and it is theft So, with regard to these, we have laid down certain criteria I believe the objection was taken by Shri Bharucha that some of these offences are fairly serious so far as their nomenclature is concerned and the offender is likely to escape with a light punishment That was his objection But there is provision for this in clause 25 If the Panchayat feels that the offence involved is one for which it cannot award adequate punishment, it shall

[Shri Datar]

submit the case for transfer to a competent court. So, if it is found that even though technically an offence is such as to come within the jurisdiction of an *adalat* court, it is open to it to have it transferred to a regular court provided it finds the offence committed is of a serious nature and that it requires a larger measure of punishment than what they can give. That is another safeguard.

There is a third safeguard. These *adalat* panchayats cannot pass a substantive sentence of imprisonment. The amount of fine that can be imposed is only Rs. 100. Clause 16, which seeks to add section 53B to the Act says:

"A Panchayati Adalat may impose a fine not exceeding one hundred rupees but no imprisonment may be awarded in default of payment."

Therefore, you would agree that we have taken certain precautions. We are anxious to develop the panchayats in general. Those of you who are interested might have noted that we have had at the Nagpur Congress Session a Resolution dealing in a way with the development of panchayats as such. Therefore panchayats have got to be developed and we want to develop them even so far as the judicial panchayats are concerned. It does not matter if there is any risk.

Some hon. Members have asked when certain decisions or decrees or orders or sentences are passed by panchayats, what will happen to them who are likely to be aggrieved by it? The Government are responsible for keeping law and order and naturally have the responsibility for enforcing the orders of the judicial panchayats. So, there need not be any misgiving. Even when there are unruly elements, they have got to be checked. That is the primary duty of every civilised Government. Therefore, Government will see to it that if there is any such occasion, things

are set right. Government have preventive powers also. Government will take all the necessary steps for keeping the law and order in the village, for keeping these unruly or anti-social elements under check. Let there be no difficulty about it.

Certain comments were offered on the merits of the Bill. I would not make a reference to all of them. I think Shri Naval Prabhakar referred to the *patwari* and said that he is in the position of a supervisory officer. That is entirely wrong. Section 16 of the Act states the position the other way, it is the correct way. As a Government officer, he is not entitled to be a member of the panchayat, much less a member of the judicial panchayats. Government servants are not entitled to be candidates for circle panchayats or judicial panchayats.

Secondly, all that he has been called upon to do is that whenever any information or aid is necessary for the panchayat, then it is his duty to help them. My hon. friend did not read it correct and raised a point which has no substance. Section 16 of the Act says:

"The Patwari shall be bound to assist the Pradhan or Up-Pradhan of a Gaon Panchayat in the performance of the Gaon Panchayat's duties relating to land management work under Chapter V of the Delhi Land Reforms Act, 1954, in respect of the village of his *halka* situated in the jurisdiction of the Gaon Panchayat in the manner and to the extent prescribed under that Act."

There also, he is not called upon to give any general help so as to excite some suspicion in the mind that he is likely to exercise undue influence or domination over the members of the panchayat. But some information has got to be given and some aid has to be given. That is the reason why the *patwari* comes into the picture.

So far as the Scheduled Castes are concerned, may I point out that the two Acts together—the Delhi Land Reforms Act and the Delhi Panchayat-Raj Act—deal with the question of the Gaon Sabhas and panchayats, etc. That is the reason why, only yesterday, in the Bill that was passed by this hon. House, there was already a provision for reservation of seats in Gaon Panchayats for women and Scheduled Castes. Therefore, the objection has been met.

Then, the hon. Member contended that there were different authorities who were likely to come into conflict with each other. So far as the question of the Delhi Municipal Corporation is concerned, they deal only with general questions common to all the villages. Then, the normal work of a village panchayat will have to be carried on according to the provisions of the Delhi Panchayat Raj Act. The House will see that a similar provision has been made in the Delhi Municipal Corporation Act. There are certain subjects in respect of which they are bound to act. They are imperative subjects. They are such that they can take over, provided they consider it necessary or advisable to do so. Therefore, they have got discretionary powers also. Thus, it will be open to them to carry on the work as they please without any hindrance at all.

Incidentally, a question was raised as to whether they would have sufficient funds. I would say, whenever it is necessary the Government would consider the question of placing necessary funds at the disposal of the panchayats whenever they have to carry on work, especially developmental work. Some sort of taxation might be necessary, but as one hon. Member suggested, namely, that all the revenues of the village should be given to the panchayats, it may not be practicable in the first place. In the second place, would that be sufficient for the development of the village? There are occasions where at higher levels Government will have to place

more funds at the disposal of the village bodies. Let us, therefore, take into account the development of India as a whole and the development of the rural population in particular. Therefore, it is essential that the question of funds should not be a matter on which the hon. Members should entertain any suspicion, for, we are anxious to develop rural areas and develop the institution of panchayats. If any demand is made or any requirement is let known to us, it will be considered.

Then, something was stated about the powers of suspension as contained in clause 28. May I point out that even in higher bodies like the legislatures of States or in the Delhi Municipal Corporation Act, there are powers to supersede. This is a power of suspension only and there is an amendment moved by an hon. Member.

Shri Tangamani: They do act supersede a high court or a district court.

Shri Datar: There is no question of high court or district court. Unfortunately, a number of hon. Members do not clearly make a distinction between the judicial authorities and executive authorities. The executive authorities have their own functions. Now, Shri P. R. Patel is enamoured of the judiciary; we are also enamoured of the judiciary. But so far as legitimate functions are concerned, and so far as the executive functions are concerned, you have got to trust us. We are the executives here and there are executives in the States. We have an elected legislature and therefore, if there are any

Shri P. R. Patel: What about the revisionary powers?

Shri Datar: You are there to check us. We are answerable to you. Therefore, let us not have a misunderstanding. So far as the judicial and executive functions are concerned, they are entirely different subjects. There are matters which can be

[Shri Datar]

tackled only by the executive effectively and not by the judiciary. There are matters where questions on rights and obligations arise, the judiciary has to be approached and it has to tackle them.

Shri P. R. Patel: May I submit one thing? What about the powers given to the Additional District Magistrates so far as the revision of the orders are concerned?

Shri Datar: I shall come to that. Only when there is proper work for a judicial body should we approach the judicial body. Otherwise not. I find a general tendency that a number of hon. Members are absolutely doubtful about the work that the executive carries on, and they believe that the panacea or salvation lies in keeping the work under the judiciary. Now, the work that we are carrying on cannot in any way be tackled by others. There are the limbs of the Government each limb having its own legitimate functions. Therefore, you will not kindly ask us to be under, in a way, the judiciary, where we have got to do our own functions and for which we are answerable to you. That is a point which may be kindly understood.

As I have said, the judiciary is a body which has to be respected in respect of their work, and we are giving them full independence. We are always following their directions whenever they pass directions so far as the questions before them are concerned.

Shri M. L. Dwivedi: Under the orbit of

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. We have taken much time.

Shri Datar: May I point out one circumstance? With regard to the conflicts between the different bodies, it is true that there are development councils but they were temporary bodies because the Panchayat Raj Act

had not been brought into operation. Therefore, there would be no conflict now, and all the work, either administrative or developmental, will be carried on by the panchayats, and there would be no conflict of any kind at all.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put Shri Raghubir Sahai's amendment to the vote.

Shri Raghubir Sahai: Before you put that question, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that in his very elaborate speech he did not mention one single word even about my amendment.

Shri Datar: I plead guilty to the charge.

Mr. Deputy-Speaker: I understood that he did not agree to it.

Shri Raghubir Sahai: He may not agree, but that is a different matter.

Mr. Deputy-Speaker: What is the reaction of the hon. Member?

Shri Raghubir Sahai: He has not asked me to withdraw it.

Shri Datar: I am requesting him to withdraw it through you.

Shri Raghubir Sahai: I beg leave to withdraw the amendment. (Interruptions)

Some Hon. Members: Put it to the vote.

Mr. Deputy-Speaker: If the House is not going to give permission to the Member to withdraw, I shall put it to the vote of the House.

The question is

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava,

Shri Radha Raman, Shri Raghubar Dayal Misra, Shri Vishwambhar Dayal Tripathi, Shri Mool Chand Jain, Shri K. T. K. Tangamani, Shri Khushwaqt Rai, Shri Ajit Singh Sarhadi, Shri Samat Prasad, Shri Ganpati Ram, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H. C. Dasappa, Shri Naushir Bharucha, Sardar Hukam Singh, Shri Jamal Khwaja, Shri Shivram Rango Rane, Shri Naval Prabhakar, Dr. Sushila Nayar, Shri Raghubar Sahai—the mover, with instructions to report by the first day of the next session.

The motion was negatived

Mr. Deputy-Speaker: The question

“That the Bill further to amend the Delhi Panchayat Raj Act, 1954, be taken into consideration”

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The question

“That clauses 2 to 29 stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 29 were added to the Bill.

New Clause 30

Amendment made

Page 10, after line 17, add—

“30 In section 102 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be added, namely—

“(3) All rules made under this Act shall be laid for not less than thirty days before both Houses of Parliament as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.”

[Shri K. S. Ramaswamy]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

“That New clause 30 be added to the Bill.”

The motion was adopted.

New Clause 30 was added to the Bill.

Clause 1.— (Short title)

Amendment made

Page 1, line 4,—

for “1958” substitute “1959”.

[Shri Datar]

Mr. Deputy-Speaker: The question

“Clause 1, as amended, stand part of the Bill”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—

for “Ninth Year” substitute “Tenth Year”

[Shri Datar]

Mr. Deputy-Speaker: The question

“That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill”

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The long title was added to the Bill.

Shri Datar: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed”

Mr. Deputy-Speaker: The question

“That the Bill, as amended, be passed”

The motion was adopted.